मध्यप्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम की प्रतिवेदित कार्यवाही

स्थान : मानसरोवर सभागार **दिनांक : 9 जनवरी, 2024**
समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे

श्री पुनीत श्रीवास्तव, संचालक, विस -- मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए विधान सभा सचिवालय एवं लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है.

अब मैं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष और मंचासीन विशिष्ट महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि द्वीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें.

(माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं मंचासीन विशिष्ट महानुभावों द्वारा
द्वीप प्रज्वलित किया गया.)

संचालक, विस -- अब मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष
का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉ. मोहन यादव का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा मुख्यमंत्री महोदय डॉ. मोहन यादव का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

संचालक, विस -- स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि वे माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी का शॉल और स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें.

(मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा माननीय लोक सभा अध्यक्ष का शॉल और स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान किया गया.)

संचालक, विस -- माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉ. मोहन यादव का भी स्वागत एवं सम्मान शॉल और स्मृति चिह्न से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा.

(मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा मुख्यमंत्री महोदय, डॉ. मोहन यादव का शॉल और स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान किया गया.)

संचालक, विस -- अब, मैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और विधान सभा के प्रमुख सचिव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का शॉल और स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें.

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और विधान सभा के प्रमुख सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का शॉल और स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान किया गया.)

संचालक, विस -- प्रमुख सचिव जी से अनुरोध है कि वे माननीय नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा, श्री उमंग सिंघार जी का शॉल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें.

(प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार का शॉल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान किया गया.)

संचालक, विस -- माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का शॉल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें.

(प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का शॉल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान किया गया.)

संचालक, विस -- लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह का स्वागत एवं सम्मान शॉल एवं स्मृति चिह्न से करने का कष्ट करें.

(प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी का शॉल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत एवं सम्मान किया गया.)

संचालक, विस -- माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से मंचासीन अतिथियों को संविधान की प्रति और स्मृति चिह्न भेंट किया जाना है.

(माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, डॉ. मोहन यादव, श्री सतीश महाना, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री उमंग सिंघार, श्री ए.पी. सिंह को संविधान की प्रति और स्मृति चिह्न भेंट किए गए.)

संचालक, विस -- अब मैं, परियचात्मक संबोधन के लिए विधान सभा के प्रमुख सचिव, श्री ए.पी. सिंह जी से अनुरोध करता हूँ.

श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, विस -- आज के इस विशिष्ट प्रबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, इस कार्यक्रम के प्रेरणास्त्रोत और मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, हमारे अनुरोध पर लखनऊ से पधारे देश के सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, इस विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंघार जी, संसदीय अनुभवों के धनी हमारे संसदीय कार्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा सचिवालय का सहयोग भी इस सचिवालय को मिल रहा है, उनके महासचिव आदरणीय श्री सिंह साहब भी यहां पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ. इस सदन में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा और विधान सभा के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि और महानुभावों, इस अवसर पर मैं आप सभी का विधान सभा सचिवालय की ओर से, अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, वंदन करता हूँ.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय एवं लोक सभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राइड के सहयोग से यह दो दिवसीय कार्यक्रम माननीय सदस्यों के प्रबोधन के लिए यहां आयोजित किया गया है. जैसा हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है और विधायिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही देश में संसद एवं प्रदेशों में विधान मण्डल में संसदीय प्रजातंत्र का मूलत: जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन प्रयोजित होता है. निर्वाचित सदस्य यद्यपि सामाजिक समस्याओं से भलीभांति भिज्ञ होते हैं और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं परन्तु सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अंतर्गत मामलों को कैसे, कब और किस प्रकार से उठायें ? ताकि न केवल शासन का ध्यान प्रभावी ढंग से जनसमस्याओं की ओर आकृष्ट कर सकें, अपितु कार्यपालिका की विधान सभा के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके. इस दृष्टि से प्रक्रियाओं व नियमों की जानकारी से विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को अवगत कराए जाने के उद्देश्य से यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

सोलहवीं विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 70 है तथा गत विधान सभा से 100 सदस्य पुराने निर्वाचित हुए हैं. इसी दृष्टि से, माननीय अध्यक्ष जी के मागदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. प्रबोधन कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अनुभवी राजनेता तथा प्राइड (PRIDE) के सहयोग से संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्धजनों को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया है. आज उद्घाटन के पश्चात्, जो प्रथम सत्र होगा, उसमें श्री सतीश महाना, माननीय अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधान सभा, जो आठवीं बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जो विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे हैं, अनुभवी राजनेता हैं, उनका उद्बोधन होगा. उसके उपरान्त के सत्रों में माननीय पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, पूर्व केन्द्रीय मंत्रीगण एवं माननीय सांसदगण तथा लोक सभा के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के समिति विशेषज्ञ भी आज मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. इसके साथ ही, माननीय सदस्यों को उपयोग हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा विभिन्न संसदीय विषयों पर तैयार की गई सामग्री विधायी कार्यों में बहुउपयोगी संसदीय तथा विधान मंडल पद्धति एवं प्रक्रिया की

पुस्तकें, पुस्तकालय संबंधी जानकारी तथा अन्य उपयोगी अभिलेख भी प्रदान किये जाएंगे. विधान सभा राज्य की सर्वोच्च चुनी हुई प्रजातांत्रिक संस्था है. इसलिए आप सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह है कि कृपया आप सभी संघ के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए विधान सभा सचिवालय के पुस्तकालय एवं संघ के साहित्य का अधिकतम उपयोग करने के साथ ही, प्रबोधन कार्यक्रम के सभी सत्रों में अधिक से अधिक उपस्थित होकर लाभ अर्जित करने का कष्ट करें. आशा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित यह प्रबोधन कार्यक्रम माननीय सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा. इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ. धन्यवाद, जय हिन्द.

संचालक, विस - अब, मैं लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी को संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ.

श्री उत्पल कुमार सिंह, महासचिव, लोक सभा - माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, मध्यप्रदेश के माननीय नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्यमंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्यप्रदेश विधान सभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, उत्तरप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, मध्यप्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव एवं मेरे मित्र श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, देवियों और सज्जनों, नमस्कार.

आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी गणमान्यजनों का सादर स्वागत है. सर्वप्रथम, मैं मध्यप्रदेश विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ तथा मध्यप्रदेश की जनता की सेवा में आपकी पूर्ण सफलता की कामना भी करता हूं. संसद की ओर से

हमारा यह सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित माननीय विधायकों के प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम में संसद की प्रशिक्षण संस्था प्राईड को सहयोग देने का अवसर दिया गया है, मैं इसके लिए माननीय माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा का आभार व्यक्त करता हूँ. जैसा कि प्राईड के द्वारा देश एवं विदेश की संसदों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए अनेक गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा प्राईड को इस क्षेत्र में काफी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त हुई है. मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी, संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, पंचायती राज और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन के प्रबल पक्षधर रहे हैं, अपने कार्यकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष जी ने देश के हर हिस्से में, हर जनतांत्रिक स्तर पर ऐसे अनेक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं, जिनकी सर्वत्र सराहना भी की गई है. माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा का यह मानना है कि जनतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी और मजबूत होंगी, यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी अपने सदनों की नियम-प्रक्रियाएं, वाद-विवाद एवं उपयुक्त दृष्टान्तों से अपने-अपने सदनों की कार्यवाही में प्रभावशाली तरीके से हिस्सा ले सकेंगे. माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी ने इस दिशा में संसद में कई कदम उठाए हैं, जिसका वर्णन आपको उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण सामग्री से प्राप्त हो सकेगा. मेरा आप सभी से विशेषकर माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा से निवेदन है कि प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो संसद एवं प्राईड को सूचित कराने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी. मैं इस प्रसंग में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विधायिकाओं से एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आव्हान किया था. "वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म" माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी के प्रयास से इस दिशा में काफी काम हुआ है, जिससे संसद एवं विधान सभाओं को एक-दूसरे के क्रियाकलापों, अनुभवों में तथा उनके रिसोर्सेस का अवलोकन करने एवं उनसे लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा. इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के माननीय

विधान सभा सदस्यों को अनेक वरिष्ठ सांसदों, वरिष्ठ विधायकों तथा विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण एवं लाभकारी विषयों पर जानकारी प्राप्त होगी. इससे अपने सदन के कार्यकलाप में, वे प्रभावशाली तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे. मैं पुन: इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ. धन्यवाद.

संचालक, विस - अब, मैं उद्बोधन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी से सादर निवेदन करता हूँ.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा - मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित विधान सभा के सदस्यों के इस गरिमामयी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सब के मध्य कृपापूर्वक पधारे लोक सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री ओम बिरला साहब तथा इस मौके पर हम सब के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित मध्यप्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर डॉ. मोहन यादव जी, मध्यप्रदेश विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार साहब उपस्थित हैं. आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कानपुर जिले से 8वीं बार, एक ही विधान सभा से लगातार जीते हैं, ऐसे उत्तरप्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह जी मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, श्री ए.पी.सिंह जी और यहां पधारे माननीय मंत्रीगण, अन्य सदस्यगण, लोक सभा और इस सचिवालय के सभी अधिकारीगण एवं पत्रकार मित्रों, आज हम सभी के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, हमें माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी का स्वागत करने का गौरव हासिल हो रहा है. श्रीमान ओम बिरला जी, सार्वजनिक जीवन के बहुत ही निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने विचारों के लिए बहुत कम आयु से, लगातार जनता के बीच में काम किया है. वे राजस्थान की विधान सभा में विधायक रहे, लोक सभा में सांसद रहे और अब वे लोक सभा अध्यक्ष के रूप में हम सभी के बीच उपस्थित हैं.

लोक सभा अध्यक्ष के रूप में न सिर्फ उन्होंने सदन का सफलतापूर्वक संचालन किया अपितु दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़े और मजबूत हों, लोकतंत्र का भाव सर्वांगीण रूप से समाज में प्रसारित हो, इसके लिए नए-नए आयाम लोक सभा में स्थापित करने का गौरव ओम बिरला जी को जाता है. मैं, इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के नाते, हमारे पूरे विधान सभा परिवार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं. अभिनंदन करता हूं.

मुझे प्रसन्नता है कि जब नई विधान सभा के प्रशिक्षण की चर्चा हुई तो प्रारंभ में हमारा यह चार दिवसीय सत्र था. उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जी थे, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें जल्द ही प्रशिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए, जिससे इसके बाद होने वाले सत्र में हमारे सदस्यों को विधायी कार्य करने में सुविधा होगी. फिर यह 9-10 जनवरी की तिथि तय हुई. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए प्रशिक्षण देने वाले हमारे जो व्यक्ति हों, वे उपयुक्त हों. इसके लिए जरूरी था कि लोक सभा सचिवालय का सहयोग हमें मिले. मैं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय बिरला जी को, उत्पल जी को कि लोक सभा सचिवालय ने हमें इसमें संपूर्ण सहयोग दिया है और आप देखेंगे कि आगामी सत्रों में लोक सभा के अधिकारीगण अलग-अलग विषयों पर, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे हमारी यह यात्रा निश्चित रूप से सफलता के सोपान तक पहुंचेगी.

मित्रों, हम सभी निर्वाचित होकर इस विधान सभा में आये हैं. स्वाभाविक रूप से हम सभी जन प्रतिनिधि हैं, तो एक अच्छा जन प्रतिनिधि बनना, यह आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा विधायक भी बनना, हम सभी के लिए जरूरी है और क्षेत्र की हम से जो अपेक्षा है, वह विधायक से पूरी कैसे हो, इसके लिए एक कार्यकर्ता के रूप में तो हम हैं, जनता ने आपका वरण कर ही लिया है. अब जरूरत है अपने कृतित्व को पैना करने की. अपने कृतित्व को अनुशासित करना, अपने कृतित्व को नियम में बांधने की, क्योंकि यदि हम यह सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कृतित्व, हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा और जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो क्षेत्र में भी

हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि मध्यप्रदेश विधान सभा जैसे गरिमामयी सदस्यों के कृतित्व से इस सदन की महिमा, पूरे देश में बढ़ेगी, यह भी अपेक्षा हम सभी को रहती है.

मुझे ध्यान है कि सामान्य तौर पर पहले विधान सभा में सदस्य प्रोत्साहित हों, इसके लिए कुछ पुरस्कारों की परंपरा होती थी. बीच-बीच में यह परंपरा अपरिहार्य कारणों से ऊपर-नीचे होती रही. लेकिन जब यह व्यवस्था थी तो सदस्य हम नियम का पालन करते थे, उनका उपयोग करते थे और इनके लिए सक्रिय रहते थे. सामान्य तौर पर विधायक के रूप में हम सभी के मन में एक कल्पना रहती है कि मुझे बोलना चाहिए और बोलने में भी यह प्रचलन सा हो गया है कि बहुत अधिक चिल्ला के बोलें, तो लोग अच्छा समझेंगे.

मैं, अपने अनुभव के साथ आज यहां यह कहना चाहता हूं कि सदन में बात रखते हुए व्यक्ति का जोश भी दिखे लेकिन वह जोश, पूरी तरह से होश के साथ नियंत्रित हो. व्यक्ति का बोलते समय गुस्सा भी दिखे लेकिन व्यक्ति को गुस्सा दिखते समय, गुस्सा आना नहीं चाहिए क्योंकि यदि आपको गुस्सा आ गया तो आपका विषय ही पलट जायेगा और हम सभी को आवश्यकता है कि विधान सभा में बोलने के लिए जितनी भी नियम-प्रक्रियायें बनी हैं. मैं समझता हूं बहुत कम सदस्य होते हैं जो सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं. अगर वह नियम और प्लेटफॉर्म का उपयोग करें तो ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको बोलने का अवसर नहीं मिले, लेकिन कुल मिलाकर कई बार हम अपने प्रश्नों पर अड़ जाते हैं और बिना नियम के बोलने पर अनुमति चाहते हैं. निश्चित रूप से कुछ समय दिक्कत होती है और इसलिए प्रशिक्षण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व है. आज और कल का यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह निश्चित रूप से हमको विधान सभा की नियमावली, विधान सभा की परम्पराएं, विधान सभा की प्रचलित व्यवस्थाएं उनके नजदीक ले जाने का प्रयत्न करेगा. मैं मानता हूं कि इससे आपको पूरे कार्यकाल में निश्चित रूप से लाभ होगा. वैसे भी आप व्यावहारिक जीवन में देखेंगे तो शासकीय व्यवस्था में सबसे छोटा कर्मचारी चपरासी है और सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस अधिकारी है, लेकिन आप सभी यह अनुभव करेंगे कि अच्छा चपरासी वही सिद्ध होता है जो अपने काम की ट्रेनिंग किये हुए हो. हम कई बार अनुभव करते हैं कि व्यक्ति

चपरासी है और यदि वह ट्रेन्ड नहीं है तो वह ठीक से आपको पानी भी नहीं परोस सकता है. सबसे बड़ा कर्मचारी आईएएस अधिकारी होता है. सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वह सब विधाओं का ज्ञाता है. उसे कभी भी किसी भी विभाग की जिम्मेदारी दे दो वह जल्दी समझ जाएगा ऐसी मान्यता लोकतंत्र में बनी हुई है, लेकिन वह आईएएस अधिकारी आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके नौकरी में आता है फिर भी उसको साल दो साल में रिफ्रेशमेंट कोर्स करने के लिए जाना ही पड़ता है अगर वह बार बार-बार ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाएगा तो ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन एक ऐसा अछूता क्षेत्र है कि आप जिस दल से आ रहे हैं वह दल अगर इस मामले में चिंता कर रहा है तो अलग बात है बाकी पार्षद बनने के लिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है. जनता के बीच में खड़े हुए थे और जनता ने हमें चुना तो हम आ गए, लेकिन दायित्व का निर्वहन करने के लिए और यदि हम उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. मैं समझता हूं कि बहुत सारे विधायकों को आप देखेंगे जो सभी नियमों का पालन करते हुए विधान सभा की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं और अपने दायित्व की भी पूर्ति करते हैं. साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लिए भी अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं. मैं इस मसले पर, इस अवसर पर सभी सदस्यों को यही आग्रह करता चाहता हूं कि यह जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में एक तो हमारी उपस्थिति ठीक होनी चाहिए और उपस्थिति सदन में भी जरूरी है. मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था तो मेरे यहां के बड़े नेता शीतला सहाय जी थे. वह बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे विधान सभा संसदीय ज्ञाता के रूप में उनकी मध्यप्रदेश में ख्याती थी तो मैं उनको पूछने गया कि मुझे क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि जब मैं फुर्सत में रहूंगा तो तुम्हें समय दूंगा और तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो दो तीन घण्टे का समय लेकर आना. मैं समय लेकर उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी बात कही उन्होंने कहा कि सदन में साढ़े दस बजे पहुंचो और जब सदन पूरा हो तभी आप वहां से उठकर आओ. पूरे समय एक सत्र में आप बैठोगे और आप कुछ भी बोलने की कोशिश मत करो. कौन कैसा बोल रहा है, कौन कैसा जबाव दे

रहा है अगर ध्यानपूर्वक एक सत्र पूरा अटेंड कर लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि विधान सभा में कैसे क्या करना है, कैसे अपने आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाना है. आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. दूसरी बात जो उन्होंने कही सार्वजनिक हित के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करना जरूरी है. सामान्य तौर पर घटना का विधान सभा में उल्लेख हो यह जरूरी है लेकिन जो समस्याएं गहराई से विद्यमान हैं और यह जरूरी नहीं है कि वह आपके प्रयत्न से निराकृत होंगी, लेकिन उस समस्या की तरफ आपका ध्यान है आप उतना गहराई से सोचते हैं, आप जमीन के निकट पहुंचते हैं यह बात लोगों के ध्यान में आएगी तो विधायक के रूप में आपके व्यक्तित्व को निखारने में भी मददगार होगी. ऐसे कई विषय उन्होंने मुझे बताए. दो चीजें उन्होंने मुझे टास्क के रूप में दीं. उन्होंने कहा कि नरेन्द्र सिंह जी हमारी राजनैतिक ताकत कमजोर थी इसलिए ग्वालियर में हम कृषि विश्वविद्यालय नहीं बना पाए यह ग्वालियर में बनना चाहिए था. दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी राजनैतिक ताकत कमजोरी थी. ग्वालियर का संगीत घराना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. शास्त्रीय संगीत जब दुनिया में कोई सीखता है तो वह तानसेन को प्रणाम करके अपने जीवन का आरम्भ करता है. पूरी दुनिया के संगीतज्ञों के लिए मध्यप्रदेश में संगीत विश्वविद्यालय बना, लेकिन ग्वालियर घराना विश्वविख्यात होने के बाद भी हम राजनैतिक रूप से कमजोर थे इसलिए संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में नहीं खोला, वह खैरागढ़ में खोला तो उन्होंने कहा कि दोनों काम के लिए प्रयास करना यह ग्वालियर का हक है और मुझे ध्यान है कि मैंने बहुत नियम प्रक्रिया के तहत अपने कार्यकाल में इन कामों को विभिन्न नियमों के तहत उठाया, कोशिश की, अशासकीय संकल्प लगाए, लेकिन मैं उस समय सफल नहीं हो पाया लेकिन वह टास्क मेरे ध्यान में था वह एक सीनियर विधायक के द्वारा दिया गया था. जब मैं सरकार में मंत्री बना तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यह दो काम ग्वालियर में करने चाहिए और 19 अगस्त के दिन हमने दोनों विश्वविद्यालय ग्वालियर में बनाए तो यदि हम ऐसे विषयों को भी साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से समूचे क्षेत्र का लाभ होगा. कई बार आप क्षेत्र के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं. छोटी-मोटी सड़क और हैंण्डपम्पों के पीछे घूमते रहते हैं. वह भी जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए. यह मार्गदर्शन तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का

भी हमें मिलेगा. बाकी सत्रों में जो सत्र के वक्ता हैं उनका मार्गदशन हमको मिलेगा लेकिन मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का लाभ जरूर लेना चाहता हूं. अभी मैंने देखा कि मध्यप्रदेश की विधान सभा में पूरी तरह ई-विधान नहीं हो पाया है और मुझे सौभाग्य मिला था कि जब मैं लोकसभा का संसदीय कार्यमंत्री था मेरे पास परियोजना प्रारंभ हो गई थी और मुझे अभी वहां के अधिकारियों ने बताया कि जो योजना आपने प्रारंभ की थी वह 20 राज्यों में लागू हो गई है, लेकिन अभी मध्यप्रदेश राज्य उसमें नहीं है और उत्तर प्रदेश की विधान सभा भी ई-विधान सभा हो गई है जो कि सबसे बड़ी विधान सभा है तो वह परियोजना मध्यप्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन है. मैं आग्रह करूंगा कि हमारा ई-विधान प्रोजेक्ट मंजूर हो जाए. दूसरा अब मैं काफी पुराना मध्यप्रदेश का सदस्य हूं तो मैं इस बार जब अध्यक्ष बना तो स्वाभाविक रूप से विधायकों के निवास की तकलीफ बहुत आती है क्योंकि बहुत सारे अधिकांश लोगों को लगता है कि किसी भी दल के हों नरेन्द्र सिंह जी हैं तो हम हाथ पकड़कर करा लेंगे, लेकिन वह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि एक अनार सौ बीमार. सन् 1956 में विधायकों के रहने के लिए जो स्थान बना था वह भी अब पूरी तरह से अव्यावहारिक हो गया है. इसलिए विधायकों के लिए निवास का नया प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश की सरकार ले लेगी तो आने वाले कल में विधायकों को निवास करने की, अपना कामकाज करने की बहुत सुविधा मिल जाएगी. यही दो निवेदन के साथ मैं पुन: लोकसभा अध्यक्ष जी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं. धन्यवाद

प्रकाशनों का विमोचन

श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, विधान सभा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, का बहुत बहुत धन्यवाद. अब, विधान सभा के कुछ प्रकाशनों का विमोचन किया जाना है.

श्री पुनीत श्रीवास्तव -- मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा मंचासीन विशिष्ट महानुभावों से विधान सभा द्वारा प्रकाशित चार प्रकाशनों के विमोचन करने का अनुरोध करता हूँ.

(1. पृष्ठाधार सामग्री का विमोचन, 2. मध्यप्रदेश विधानसभा के वित्तमंत्री के भाषण ग्रंथ का विमोचन, 3. सदस्य-विश्लेषण पुस्तिका का विमोचन, 4. विधायिनी पत्रिका का विमोचन किया

गया. इन सभी की प्रतियां आगामी सत्र में माननीय सदस्यों को सूचना कार्यालय से वितरित की जाएंगी)

श्री पुनीत श्रीवास्तव --अब, मैं उद्बोधन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा -- विधान सभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी, माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा आदरणीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉ. मोहन यादव जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह जी, हमारे पत्रकारगण और माननीय देवियों और सज्जनों.

मैं कुछ बातें ध्यान में लाना चाहता हूँ. मैंने आदरणीय बिड़ला जी को कई बार टीवी पर देखा है, पहली बार रुबरु हुआ हूँ. आप लोकसभा को कभी मुद्दों से भटकने नहीं देते हैं. समय का आप विशेष ध्यान रखते हैं. मुझे लगता है कि इस मध्यप्रदेश विधान सभा में भी यह आवश्यकता है. चूंकि नरेन्द्र सिंह जी काफी अनुभवी हैं. अभी मैंने उनका उद्बोधन सुना है. मुझे लगता है आने वाले समय में हर विधायक को मौका मिलेगा और विषयों पर बात होगी ऐसा मुझे विश्वास है. आपने अभी अपनी इस भावना से सभी को अवगत कराया है. आशा है सभी विधायक कुछ सीखेंगे. मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं कोई बात पक्ष और विपक्ष के हिसाब से नहीं करता हूँ यह मेरी एक सोच है. हमारे साथी विधायक दोनों पक्ष के कई बार अपनी बातें नहीं उठा पाते हैं. कई बार उनको सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, इसमें कसावट की जरुरत है. मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं विधान सभा का अवमूल्यन हुआ है. एक समय था जब हमारी बुआ जी स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जी थीं, उनके साथ के कई वरिष्ठ साथी अभी यहां बैठे हुए हैं. उस समय विधान सभा का एक दबदबा था. उस समय विधान सभा प्रश्न आता था तो अधिकारी की मजबूरी होती थी उसका जवाब तैयार करना. सरकारें भी विधायकों के पक्ष में न्याय करती थीं. सच्चाई यह है कि सरकार किसी की भी रहे हमें सामूहिक रुप से जनप्रतिनिधियों का साथ देना चाहिए ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है. विशेषकर, सामान्य प्रशासन विभाग से जो प्रोटोकॉल विधायकों के प्राप्त है वह चाहे जिले में हो चाहे यहां हो उसका भी कड़ाई से पालन होना चाहिए. यह विधायकों की भावना है. कोई भी हो

जो इतने सालों से संघर्ष करते आ रहा है, चुनाव जीतकर आ रहा है, कठिन परिश्रम से, संघर्ष से उसे न्याय मिलना चाहिए. पक्ष विपक्ष की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं जिससे विषय बदल जाते हैं. प्रश्नों के जवाब सही तरह से नहीं आ पाते हैं. इस बारे में सदस्यों की वेदना होती है. मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि विधायकों के प्रश्नों के जवाब अधिकारी अपनी मर्जी से बनाकर भेज देते हैं. मंत्री जी से सरकार के जिन कामों के बारे में बुलवाना होता है वह बुलवाते हैं. सभी माननीय मंत्री मेरे सम्माननीय हैं. कुछ चीजों में दिल से, जनहित में, जनभावना के हिसाब से न्याय करना चाहिए. ऐसा मेरा अनुरोध है. ठीक है सरकारों से गलतियां होती हैं, विपक्ष से भी होती हैं. लेकिन हम लोग सेवा करने आए हैं इसलिए हर बात को राजनीति से जोड़ना न मेरा मकसद है न मेरी सोच है. पांच साल के दौरान मैं मानता हूँ जब चुनाव होते हैं उस समय 15-20 दिन राजनीति होती है लेकिन बाकी समय जनसेवा ही है. मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि यदि कांग्रेस सरकार ने सड़क बनाई तो क्या उस पर बीजेपी वाले नहीं चलेंगे और अगर बीजेपी सरकार ने पाइप लाइन डाली तो क्या उससे आने वाला पानी काँग्रेस के लोग नहीं पिएंगे. विकास के मामले में पार्टी की नहीं उस गांव के विकास की बात होना चाहिए. इस बात को मैं मानता हूँ. अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि संसदीय प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं. ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विशेषाधिकार, आश्वासन. जब प्रश्न के जवाब नहीं आते हैं और कोई मंत्रीजी अगर जवाब में आश्वासन देते हैं तो आश्वासन समिति को चला जाता है. मैं भी आश्वासन समिति में रहा हूं. बडा आश्चर्य करता था कई सालों से आश्वासन पडे हुये हैं उनके जवाब नहीं आते. अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि विधायकों के अधिकारों की बात हो, इस प्रदेश की योजनाओं के विकास की बात हो, आश्वासन का तत्काल निराकरण होना चाहिये. मेरी जानकारी में आज भी लगभग तीन हजार आश्वासन पडे हैं इन्हें भी आपको प्रायोरिटी पर करना है. अध्यक्ष जी, आपने प्रशिक्षण का कार्य जिस प्रकार से जल्दी कराया उसी प्रकार से विधायकों के आश्वासनों का निराकरण भी जल्दी कराएंगे ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं. विविध विषयों के वक्ताओं को आप सुनेंगे. वरिष्ठ, अनुभवी, संसदीय प्रणाली का ज्ञान रखने वालों के अनुभवों का आप लाभ लेंगे. नियम प्रक्रियाओं को आप समझेंगे, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि विधायिका विधेयक बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है,

लेकिन हम अगर क्षेत्र में जा रहे हैं और बोलेंगे कि हमने यह कानून बनाया है, विधेयक बनाया है और हमें वोट दो, तो वह आपको वापस भेज देंगे. ठीक है, यह व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र की मैं मानता हूं लेकिन सबके जनहित के कार्य भी प्राथमिकता पर विधान सभा के माध्यम से होना चाहिये और समय पर होना चाहिये यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं. मध्यप्रदेश की संसदीय गौरवशाली परम्पराएं रही हैं वह अपना एक अलग स्थान रखती हैं. बडी चीज है अपने आचार, विचार भविष्य के लिये हम सब मिलकर मध्यप्रदेश की आने वाली नई पीढी के लिये एक नई छाप छोडेंगे यही मेरी भावना है. धन्यवाद. जय हिन्द.

संचालक (विधान सभा) -- अब मैं उद्बोधन के लिये माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी से सादर निवेदन करता हूं.

मुख्यमंत्री (डॉ. मोहन यादव) -- मध्यप्रदेश विधान सभा के आज के प्रबोधन के कर्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिये पधारे लोकसभा के यशस्वी अध्यक्ष मान्यवर ओम बिडला जी, माननीय ओम जी हमारी पार्लियामेंट के अभी जिस प्रकार से हमने उनको यहां महसूस किया है और दूर से जब हम देखते हैं वास्तव में कई अवसरों पर पार्लियामेंट में देखने का मौका मिला है लेकिन बडे से बडे विषय पर जितनी सरलता के साथ पक्ष और विपक्ष को आपने अपने साथ लेकर हमारी संसदीय कार्य प्रणाली का लोकतंत्र के सबसे बडे मंदिर का जो मान बढाया है मैं आपका मध्यप्रदेश की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं. क्या पक्ष, क्या विपक्ष सब सम्मान के साथ और सहजता के साथ आपके हरेक स्टेप का, हरेक भाव का और जिस प्रकार से प्रत्यक्ष संसदीय कार्य की व्यवस्थाओं को जिस प्रकार आपने बांटा है मैं उसके लिये वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूं और मुझे लगता है कि वास्तव में एक आदर्श अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व का अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वह आपका परिलक्षित होता है दिखाई देता है.

मैं आज के इस अवसर पर समादरणीय माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाई साहब का जिन्होंने अभी अपना विषय रखा, कितना धीर-गंभीर व्यक्तित्व, ऐसा लगता है विशाल समुद्र में कोई तैरता हुआ जहाज अपनी मस्तानी चाल के साथ शनैः-शनैः अपने मुकाम तक पहुंचते-पहुंचते अपने विषय के गंतव्य लक्ष्य की तरफ अहसास कराता है. आपका इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व है कि इतना अलग

प्रकार का आपका अनुभव है, मैं तो भाग्यशाली हूं जिनके मंत्रिमंडल में भी सारे मंत्रिगण इसी प्रकार के हैं जो कभी भारत सरकार को गौरवान्वित करते थे वह मेरे इस मंत्रिमंडल में मेरे साथ हैं और आपका इतना विराट व्यक्तित्व है कि आप समस्त सदन की गरिमा बढाएंगे माननीय नरेन्द्र सिंह जी, मैं आपका भी वंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं. इस अवसर पर और सौभाग्य की बात है 8 बार के सदस्य विधान सभा के हमारे महाना जी और इतनी बडी विधान सभा के और विविध प्रकार के अलग-अलग अवसर पर आपने उनके साथ सदस्य रहकर अपना समय गुजारा है, आपका उस विस्तृत अनुभव का जो खजाना है मेरे विधायक साथी उसका लाभ लेंगे. माननीय सतीश महाना जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं. आप गंगा के तीरे से आते हैं हम अपनी क्षिप्रा के तीरे वाले आपका भी अभिनंदन करते हैं. यह राजा भोज की नगरी है, आनंद की नगरी है जो अलग-अलग कारणों से जानी जाती है. हमको मालूम है महाकाल की नगरी से हम आते हैं और महाकाल का स्थान कैलाश पर्वत से प्रिय कोई हो नहीं सकता. यह सौभाग्य की बात है कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी यहां विराजमान हैं मैं आपका एक वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री होने के नाते और आपका जो लंबा अनुभव है सब प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलने का निश्चित रूप से प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं. माननीय उमंग सिंघार जी, उमंग भाई ने मौका छोडा नहीं है भले ही प्रबोधन का कार्यक्रम है लेकिन भूमिका प्रतिपक्ष वाली थोडी चुटकी आपने ले ही ली है, निश्चित ही उमंग जी, आपकी भावना का सम्मान करेंगे, आप और हम मिलकर पक्ष-विपक्ष फिर नया कीर्तिमान बनाएंगे. मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. माननीय उत्पल जी, माननीय ए.पी. सिंह जी का भी वंदन करता हूं.

इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार है प्रबोधन कार्यक्रम जो प्रशिक्षण का अगला चरण है. अगला चरण किस प्रकार का है हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि जी का, साहित्य में बहुत बडा नाम है. वह आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं और विद्याध्ययन करने में उनको जो पाठ्यक्रम दिया था, वह पढते हैं याद करते हैं लेकिन याद नहीं होता है. बार-बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देखकर आचार्य जी गुस्से के मारे डंडा उठाकर

कहते हैं हाथ सामने करो और छडी मारने के लिये हाथ बढाते हैं, वह थोडे-बहुत ज्योतिष के भी जानकार थे तो जैसे ही हाथ बढाते हैं तो हाथ दिखाई देता है जिससे मारने के पहले वह अपनी छडी वापस ले लेते हैं और उनको लाड करने लगते हैं तब वह पूछते हैं गुरूजी क्या हुआ तो गुरूजी बोलते हैं बेटे तेरा कोई दोष नहीं है तो उन्होंने पूछा क्यों दोष नहीं है गुरूजी बताओ तब गुरूजी बोले तेरे हाथ में विद्या की रेखा है ही नहीं तो शिष्य ने पूछा यह विद्या की रेखा क्या होती है तब गुरूजी ने कहा बेटा चिंता मत करो तुम तो बस अपना जो काम करना हो करते रहो यह विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है, तो उन्होंने कहा बताओ यह कहां होती है क्या होती है, तो जैसे ही वह हाथ में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे होती है तो शिष्य ने कहा मैं अभी आया और वह अंदर जाते हैं तथा चाकू से अपने हाथ से लाइन बनाकर आते हैं और कहते हैं यह लाइन बन गई. उसके बाद दुनिया में कोई उनसे बडा व्याकरणाचार्य या ज्ञान के मामले में कोई नाम नहीं है जो अपने हाथ से अपनी लकीरें बना लेते हैं. इसलिये प्रबोधन का अर्थ यह है कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं. हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में अपने सभी प्रकार के सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर उसका एकाकार करने का भाव अगर हम धारण कर लेते हैं तो उस प्रबोधन का मतलब है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा निश्चित रूप से यह प्रबोधन के बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह प्रशिक्षण का शिविर भी चालू करें क्योंकि वर्ष 1985 के बाद से अभी प्रशिक्षण बाकी है. यह प्रबोधन का जो कार्यक्रम हुआ है अब नये सत्र के बाद हमारी पूरी कार्यप्रणाली को समझाने का जैसा अभी उमंग जी ने बात कही है अलग-अलग सत्र एक दिन का, दो दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा.

अध्यक्ष महोदय, एक और बात आपने जो कही है कि हमारे लिये नई विधा के आधार पर आधुनिक संसाधन के साथ विधान सभा को आगे बढाना चाहिये और निश्चित रूप से जो आपने कहा है मैं पूरा करूंगा. यहीं से मैं आपकी बात अभी मानता हूं कि मध्यप्रदेश की सरकार को जो आप प्रस्ताव देंगे निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे. इसमें जितनी धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिये तैयार रहेगी. उसके अलावा भी एक बात आपने कही कि एमएलए रेस्ट हाऊस का तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाऊस का भी नया प्रस्ताव देकर सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा देने का प्रयास भी हम करेंगे. आज के इस अवसर पर खासकर के मैंने प्रबोधन की

बात कही थी तो एक उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगा वह हम सबके लिये उसी प्रकार का होगा जो महर्षि पाणिनी जी को हमने नहीं देखा है लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पर खडे होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते मस्तक टिकाकर के जो अहसास कराया है इससे बडा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता. माननीय नरेन्द्र मोदी जी को स्मरण करें जब वह लोकसभा में पहली बार गये और अपना शीष नवाकर के इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार का जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान किया वह हमारे लिये सदैव पाथेय रहना, हम उनका अभिनन्दन करते हैं और हमारे सब के लिये जीवन में यह पाथेय रहेगा कि लोक सभा हो या विधान सभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग ढाई लाख या तीन लाख से ज्यादा वोटों का एक बड़ा हमारे पीछे उनका सबका मान- सम्मान, भाव और उनका विश्वास लेकर के विधान सभा में आते हैं और विधान सभा में आने के बाद हम निश्चित रूप से अपने दोहरे रोल में रहते हैं. हमारी अपनी विधान सभा का दायित्व तो हम पर है ही, उस विधान सभा के साथ-साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, उत्तरदायित्व भी हमको होता है. इसलिये हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिये, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिये और इनको सबको मिलाकर के हमारे अपने इस देश के लोकतंत्र के उस पावन मंदिर का सम्मान करने के लिये, उस बड़ी भावना के साथ अपनी इस विधान सभा में प्रवेश करते हैं. निश्चित रूप से इस कारण से हमारे अपने जीवन में कई नये पाठ सीखने के लिये यह पाठशाला की तरह काम आती है और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिये जीवन का एक नया पाठ बने और नये प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की, नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें. वह सारी ऊचाईयां हम हासिल करें, इस भावना के साथ आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में, मैं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिन्नदन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय.

संचालक, विधान सभा:- जिनको सुनने की आप सभी को प्रतीक्षा है. मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से बहुत सम्मान के साथ उद्बोधन के लिये अनुरोध करता हूं.

श्री ओम बिरला, अध्यक्ष लोक सभा:- आज के प्रबोधन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, जिनको विधान सभा का अनुभव है, विधान सभा में मंत्री का अनुभव है, लोक सभा में मंत्री के रूप में अनुभव है और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अनुभव है. ऐसे अनुभवी और मुख्य मंत्री जी ने सही कहा तोमर साहब के लिये गंभीर मध्य प्रदेश के विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर साहब, मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, जिनको लंबा अनुभव विधान सभा का रहा, संगठन का रहा और कई बार मंत्री बनने का अनुभव भी रहा ऐसे माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और सभी अधिकारीगण.

मैं सभी माननीय विधायकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जो चुनकर विधान सभा में आये हैं और जिनको जनता ने बहुत अपेक्षाओं और आकाक्षांओं से चुना है. मुझे आशा है कि वह जनता की अपेक्षाओं और आकाक्षांओं को पूरा करेंगे. मुझे यह भी खुशी है कि 16 वीं विधान सभा में करीबन 30 प्रतिशत, 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं. कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनको केन्द्र में मंत्री बनने का अनुभव है. लेकिन राज्य विधान सभा में पहली बार चुनकर आये हैं पहले भी और कई बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें नये अनुभव और नये ज्ञान का लाभ मिलेगा. अनुभव और ज्ञान ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले प्राप्त करते रहना चाहिये और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतंत्रीय संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है, राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है. इसलिये हमारा प्रयास होना चाहिये कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, जिस सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधान सभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले. क्योंकि मध्यप्रदेश का एक बहुत बड़ा

गौरवशाली अनुभव रहा है. इस मध्यप्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं और आज भी यह संविधान हमारा मार्गदर्निक जीवंत का दस्तावेज है. डॉक्टर भीमराव जी की जन्मस्थली है, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नयी दिशा दी, चाहे झांसी की रानी हो, चन्द्रशेखर आजाद हों, राष्ट्रपति के रूप में स्व. शंकर दयाल शर्मा जी हों और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर लोकतंत्र को एक दिशा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं, तो इस धरती की एक बड़ी महिमा है और मुझे खुशी है कि यहां के मुख्यमंत्रियों, यहां के विधान सभा अध्यक्षों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और गौरवशाली परंपरा रही हैं और सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधान सभा के सदस्य हैं और गौरवशाली विधान सभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप विधायक के रूप में या जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं वह पूरी करेंगे ही सही. लेकिन उसके साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनायेंगे. विधान मण्डल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की एक प्रमुख संस्था होती है. और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब राज्य के विकास के लिये और राज्य की जनता की जनता की आकांक्षाओं के लिये इस विधान मण्डल में चर्चा करें. और किस तरीके से चर्चा, संवाद के साथ में हम प्रदेश के अंदर सामाजिक, आर्थिक बदलाव करें. जब लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है. लोकतंत्र हमारी आजादी के बाद का ही लोकतंत्र नहीं है. लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर कितने ही समय तक हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी किये, अच्छी परम्पराएं डाली और लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा और इसीलिए लोकतांत्रिक परिवेश और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति की कार्यप्रणाली में है.

हमने आजादी के आन्दोलन को भी देखा तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से आजादी के आन्दोलन को लड़ा. उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आजादी के आन्दोलन में हम जन-आन्दोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन-आन्दोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की.

जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जन-आन्दोलन के कारण आजादी का नया इतिहास आया. कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई आन्दोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी, बलिदान नहीं दिये. वह देश भी आजाद हुए. लेकिन हमारा जो जन-आन्दोलन था, उस जन-आन्दोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली और आज भी 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में, हमने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किये, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया. चर्चा, संवाद, विचार-विमर्श से किया, सहमति, असहमति से किया और इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है.

लोकतांत्रिक देश हमारी परम्पराओं, विचारों में तो है ही, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, यह भी दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं. जब माननीय प्रधानमंत्री जी-20 से आए और उन्होंने कहा कि दुनिया आश्चर्यचकित है, लगभग 90 करोड़ ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया. निष्पक्ष, निर्विवाद चुनाव कराना, दूर-दराज के गांवों तक मतदान कराना, इस पर दुनिया के देश आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है जिसकी आबादी हमसे आधी भी हो, लेकिन उसके बाद भी इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा चुनाव प्रबंधन पारदर्शितापूर्ण रहा, जवाबदेही रहा और जितने सहज रूप से हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता का स्थानांतरण किया, इस पर भी दुनिया आश्चर्यचकित है कि जनता जनादेश देती है और जिसको जनादेश देती है तो सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण होता है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, यह हमने साबित किया है.

हमारे पास में आजादी के बाद भी विकल्प थे, लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया. आज जब हम आईक्यू के सम्मेलन में जाते हैं तो आज यह मानना है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है. यह लोकतंत्र यही नहीं कि केन्द्रीय रूप से लोकतंत्र, हमारी पंचायत से लेकर दिल्ली तक, संसद तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से प्रतिनिधियों को चुनना और उन प्रक्रियाओं से लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इसलिए जब लोकतंत्र की ताकत हमारी है तो लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ संस्था विधानसभा, लोकसभा है. लोकसभा कैसे चलना चाहिए, यह जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है. संस्था, संस्था की कार्यप्रणाली उसकी श्रेष्ठता है. लेकिन उसमें काम करने वाले कितने अपने दायित्व को

निभाने वाले हैं, उसमें हिस्सेदारी निभाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं. कैसे हम सामाजिक, आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की अवधारणा खड़ा करके हम नैतिक रूप से काम करते हुए, एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं, इसीलिए हमारी बार-बार चिंताएं रहती हैं कि विधान सभाओं में गरिमा गिरती जा रही है, जो शालीनता गिरती जा रही है, जिसका जिक्र हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी किया. वर्ष 2001 में जब देश भर के सारे विधान सभाओं के अध्यक्ष, देश के अंदर के सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे थे, उस समय एक बात की चिंता की थी कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी जो गरिमा, शालीनता गिरती जा रही है, उस विषय पर गंभीर चर्चा हुई और सभी का मानना था कि सदन के अंदर गरिमा, शालीनता बनी रहनी चाहिए. गरिमा, शालीनता बनी रहेगी, विधान सभा में अच्छी चर्चा होगी, संवाद होगा. उससे बेहतर परिणाम भी आएगा और जो उसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं, वह भी सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे. आज चाहे लोकसभा या विधान सभा हो, देश और प्रदेश के ऐसे नेता हैं, जो इन सदनों से ही नेता बने हैं. इन सदनों के अंदर चर्चा सवाल, डिबेट से ही नेता बने हैं. एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन वह अगर राज्य का नेता बनना चाहता है तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच हैं, जिसके माध्यम से वह राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, कानून बनाते समय सार्थक चर्चा कर सकता है, और अपनी डिबेट, चर्चा में जितनी सार्थक चर्चा करेगा, उतना ही वह लीडर प्रदेश का बनेगा.

मुझे याद है कि मैं विधान सभा में रहा, लोकसभा में रहा. अभी धीरे-धीरे चाहे माननीय विधायक हों, चाहे सांसद हों, मैं सदन में भी देखता हूं, वह अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं. अपने क्षेत्र की सीमित बातों पर चर्चा कर रहे हैं. पूरे देश की या प्रदेश की चर्चाओं में उनकी रुचि कम रहती है और यह बहुत चिंता का विषय है. जैसा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने कहा, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न पूछने वाला जितना संक्षिप्त में प्रश्न पूछेगा, उतना ही उत्तर देने में मंत्री को परेशानी होगी और जितना लम्बा प्रश्न पूछेगा, उतना ही मंत्री जी को जवाब देने में आसानी होगी. इसलिए संक्षिप्त में प्रश्न पूछना और संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी को जवाब देना, यह सबसे पहले प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंत्री जी ज्यादा लम्बा जवाब देते हैं तो जब सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री जी भी उसमें उलझ जाते हैं. इसलिए प्रश्नकाल के अंदर जब प्रश्न लगे तब माननीय विधायक तैयार

करके प्रश्न पूछें तो निश्चित रूप से मंत्री जी भी पूरी तैयारी करके आएंगे. मेरा तो मानना है कि जितने ज्यादा विधान सभा के सत्र होंगे, उतनी ही सरकार में पारदर्शिता आएगी और उसके अनुभव का लाभ भी मंत्रियों को मिलेगा. (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि मंत्री जी जब ब्रीफिंग लेते हैं तो उनको पूरी जानकारी मिलती है. क्योंकि लोकसभा में तो नेचर है, माननीय मंत्री जी ब्रीफिंग लेते हैं, पढ़ते हैं लेकिन राज्यों में यह प्रक्रिया, परम्पराएं कम हैं. माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी अध्यक्ष हैं तो आप समय समय पर माननीय मंत्रीगण और विधायकों से लगातार चर्चा करते रहें. उतना ही मंत्री भी विभाग को समझेगा और विधायक भी जो प्रश्न पूछने वाला है, वह विभाग को एक प्रश्न के अंदर, सारे पुराने प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद अगर प्रश्न लगाता है और उसके प्रश्न का उत्तर पूछता है तो निश्चित रूप से सदन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी पारदर्शिता आएगी. सरकार भी पूरी तैयारी के साथ माननीय विधायकों को जवाब देगी. इसीलिए मेरा मानना है कि अभी जो चिंता है, हर कानून बनाते समय कानून पर लम्बी चर्चा होनी चाहिए, डिबेट सार्थक होना चाहिए. कई बार मुझे लगता है कि जैसे कोर्ट में एक पक्ष का वकील आता है दूसरे पक्ष का दूसरा वकील आता है तो उसको विपक्ष में बोलना ही बोलना है क्योंकि वह तो उस पक्ष का वकील है. पक्ष में बोलने वाले को पक्ष में बोलना ही बोलना है. मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष को भी कानून चाहिए तो उस पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए. कानून में कमी है तो डिबेट करनी चाहिए, तर्क के साथ चर्चा करनी चाहिए. हमारा काम सत्ता पक्ष का, प्रतिपक्ष का एक है कि जो सरकार नीतियां बना रही है उन नीतियों पर जितनी सकारात्मक रूप से आलोचना करेंगे, सरकार उतनी पारदर्शिता से काम करेगी. कानून बनाते समय अगर हम तर्कों के साथ चर्चा करेंगे, तो कानून बेहतर बनेगा, उससे राज्य का कल्याण बेहतर होगा. कानून बनाते समय हमारी चर्चा गंभीर होना चाहिए और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हर कानून बनाने के पहले कभी न कभी, कोई न कोई कानून में संशोधन लाए होंगे तो उन पुराने कानूनों पर पक्ष-विपक्ष की जब चर्चा हुई हो, तो माननीय विधायक उसका रिसर्च करके, अध्ययन करके अगर कानून पर चर्चा करेंगे तो बेहतर तरीके से उस कानून पर चर्चा कर पाएंगे. इसलिए हर विधानसभा के अंदर भी रिसर्च की एक यूनिट बनना चाहिए और उस रिसर्च की यूनिट में, क्योंकि विधानसभा तो सब दल की होती है

क्योंकि वह दल से तो होता नहीं है चाहे सत्ता पक्ष हो. जितना अनुभव, जितना ज्ञान विधायक प्राप्त करना चाहे, प्राप्त करे. लेकिन मेरा मानना है कि कानूनों पर सार्थक चर्चा होना चाहिए. क्योंकि कानून अगर ब्यूरोक्रेसी बनाती है उसको विधायिका लाती है हर कानून में क्योंकि कानून सरल भाषा में भी होने चाहिए और कानून बनाने के उद्देश्यों को लेकर उसके कानून के इफेक्ट तक एक कानून बन जाता है तो उसका बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है और कानून बनने के बाद कई बार एक्ट आने के बाद उसके रूल्स बनने में सालों लग जाते हैं तो मेरा मानना है कि जब एक्ट पास हो, तो कम समय के अंदर उसके रूल्स बन जाएं, ताकि उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मैंने कई बार पॉर्लियामेंट में भी देखा कि एक्ट पास हुए दो साल हो गए और उसके रूल्स अभी तक नहीं बने हैं. ऐसा भी मैंने अनुभव किया है इसलिए मेरा मानना है कि जैसे ही एक्ट पास हो, उसके साथ में रूल्स साथ ही साथ बन जाएं. ताकि उसके बेहतर परिणाम हों. मैंने देखा है कि 16वीं लोकसभा के अंदर, 14वीं लोकसभा, 13 वीं लोकसभा के कई एक्ट पास हो गए और 13 वीं लोकसभा के रूल्स ही नहीं बने, तो जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, तब तक वह लागू नहीं होंगे. जैसे कानून बनाते समय कानून का बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है. एक कानून का उस प्रदेश की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है. इसलिए हमारे लिए कानून बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सदन की होती है और उस पर हमारी चर्चा और डिबेट बहुत सकारात्मक होनी चाहिए. मुझे लगता है कि आप सबके लंबे अनुभव हैं. मेरा यह कहना है कि जो नई परम्परा चल गई है कि नियोजित तरीके से विधानसभाओं में व्यवधान पैदा करना, हमें उस परम्परा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए. कई बार तो नियोजित तरीके से विधानसभा, लोकसभा केवल स्थगित करना है कोई तर्क नहीं है, कोई डिबेट नहीं करनी है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परम्परा नहीं है. इसलिए मैं हमेशा इस मंच पर कहता हूँ कि हमारा विरोध हो सकता है प्रतिपक्ष का काम विराध करना है और जोर से असहमति करना, लेकिन सदन में असहमति हो, तर्क हो, तो वह सदन में हो. सदन में अगर व्यवधान हुआ, सदन अगर स्थगित ज्यादा होगा, तो उसका सकारात्मक उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा. इसलिए जितनी सदन में चर्चा होगी, प्रतिपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और सरकार को

भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा. इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम विधानसभा को मॉडल बनाएं. कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर चर्चा हो तो विधानसभा की महिमा भी बढ़ेगी और उसकी गरिमा भी बढ़ेगी. क्योंकि हमें लगता है कि यह विषय सरकार हमारे तर्क को नहीं मानती तो उसके कई सारी चीजें होती हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन विधानसभा न चले यह अच्छी परम्परा नहीं है. क्योंकि हम सब इस बात की चिन्ता करते हैं इस स्पीकर कांफ्रेस में, कि लगातार विधानसभाओं की संख्या घटना हम सब के लिए चिन्ता का विषय है विशेष रूप से माननीय विधायक के लिये, जो किसी भी पक्ष के लिए चुनकर आए हैं. इससे विधानसभाओं की संख्या न घटे, विधानसभा पूरे समय चले और पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिले ताकि वह बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश की बातों को ठीक तरीके से कह सके. मैंने प्रयास किया है मैं जब पहली मुझे कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं था लेकिन हमने पहली लोकसभा के पहले सत्र के अंदर 137 परसेंट उत्पादनकारी और 1 घंटे भी हमारी लोकसभा में व्यवधान नहीं हुआ. पूरे समय चली. रात को 12-12 बजे तक चली. 11 बजे तक चली. और 11-12 बजे तक भी लोग उपस्थित रहे और माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने सही कहा कि सिर्फ विधायक वही बन सकता है जो पूरे समय सदन में बैठे. हमारे कई माननीय सांसद हैं जो सुबह आते हैं और संसद के समाप्त होने तक सदन में बैठे रहते हैं. जितना हम सदन में बैठेंगे, उतना ही नये अनुभव मिलेगा और उन अनुभव का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और मेरा दावा है कि केवल एक विधायक बनना है तो आप आकर चले जाएं लेकिन आपको प्रदेश का नेता बनना है तो पूरे समय विधानसभा में बैठकर तर्क से, मुद्दों से हमें चर्चा करने की परम्पराओं को टालना चाहिए और मेरा मानना है जितनी क्षेत्र की चर्चा होगी, संवाद होगा, वाद-विवाद होगा, उतना ही बेहतर परिणाम होगा और सरकार के लिए भी यही सकारात्मकता है. चर्चा हो, संवाद हो क्योंकि सरकार के पास भी पक्ष आता है और राज्य की विधानसभा एक ऐसा पक्ष रहता है जहां राज्य की विधानसभा में राज्य की सारी चर्चाओं का सारी समस्याओं का सारे मुद्दों का और जो हमें जानकारी ली होती है उन सारे प्रदेश की जानकारी मिलने का एक जो मंच है तो वह विधानसभा है जहां पूरे प्रदेश की जानकारी आपको मिल जाती है और उस जानकारी को

हम सकारात्मक रूप से देखते हैं. एक प्रश्न लगाया तो प्रश्न क्यों लगा है, उस प्रश्न के पीछे के अनुभव, उसके क्या कारण हैं क्यों विधायक ने प्रश्न किया है यदि उस प्रश्न के बाद भी उसका पूरा रिसर्च होगा, कोई भी मुद्दा उठाया जाए, यदि वह प्रतिपक्ष का व्यक्ति हो, अगर मुद्दा सही हो, सकारात्मक है तो मैं सकारात्मक रूप से लेकर उसके बेहतर परिणाम लाने के प्रयास करने चाहिए. इसलिए राज्य की विधानसभा हमारे लोकतंत्र के अंदर ऐसा मंच है जहां हम राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. उनकी कठिनाईयों का समाधान कर सकते हैं और हमें जनता चुनकर इसलिए भेजती है कि हम उनकी बातों को, उनके अनुभवों को, उनकी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को सदन में रखें और सरकार से अपेक्षा रहती है कि वह जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करे. मुझे आशा है कि मध्यप्रदेश की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है माननीय अध्यक्ष जी भी बहुत अनुभवी हैं. नई परम्परा, नई परिपाटी हमें शुरू करना चाहिए. और जो देश के अंदर एक मॉडल विधानसभा बने, जहां पर पूरे समय विधानसभा चले. हर मुद्दों पर चर्चा हो और सरकार भी उठाये गये मुद्दों पर सकारात्मक दिशा में ले. चाहे वह पक्ष का हो, या विपक्ष का हो तो हम एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं और प्रदेश की जनता का जो कल्याण करने की जिम्मेदारी हमें दी है इस अपेक्षा, आकांक्षाओं के बड़े विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है मुझे आशा है कि हम जनता के विश्वास और भरोसे को और कायम करेंगे ओर सरकार जिस तरीके से यहां चुनकर आयी है मुझे आशा है कि यहां के मुख्यमंत्री उन विश्वास और भरोसे को और कायम करते हुए बेहतरी के लिये काम करेगी क्योंकि मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो राज्य के विकास का एक नया मॉडल बना सकता है. और वह मॉडल बनाने में सभी विधायकों का सकारात्मक सहयोग होगा. आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद.

संसदीय कार्यमंत्री (कैलाश विजयवर्गीय) -- नमस्कार, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष और नवाचार, चाहे विधायक रहे चाहे सांसद रहे, चाहे लोकसभा अध्यक्ष रहे, नवाचार के बादशाह कहूँ तो अतिश्योक्ति नहीं होगी. ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी की तालियां बजाकर

स्वागत करें. हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बहुत ही धीर-गंभीर और दीर्घ अनुभवी विधानसभा के भी और लोक सभा के भी है, मैं माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रबोधन कार्यक्रम रखा है. तालियां बजाकर उनका भी अभिनन्दन करें. हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया महर्षि के हाथ में रेखा नहीं है तो अपने हाथ से खींच सकते हैं. बहुत ही अच्छा उदाहरण था. डॉ.मोहन यादव जी के लिये भी तालियां बजाकर स्वागत करें.

प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी जिस प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है. उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी का भी स्वागत करें. लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह जी, विधान सभा के प्रमुख सचिव, ए.पी. सिंह, यहां पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, विधायकगण, पत्रकार बंधुओं, यह हम सबके लिये सौभाग्य की बात है कि दीर्घ एवं अनुभवी व्यक्ति आज के मुख्य वक्ता थे. मैं आपको एक राज की बात बताता हूं आज अपने विधान सभा अथवा लोक सभा क्षेत्र को किस प्रकार नब्ज किया जाता है यह अगर सीखना हो तो आप ओम बिरला जी के क्षेत्र में जाकर के देखना उन्होंने इतने नवाचार किये हैं यह मेरा दावा है कि यह देश के ऐसे पहले जनप्रतिनिधि हैं जो हर बार चुनाव में ज्यादा वोट से जीतते हैं पिछली बार की तुलना में. वे इतने नवाचार करते हैं, इतना संबंध है लोगों से नीचे तक एक आदर्श जनप्रतिनिधि कैसा होता है, यह देखना है तो आप उनके क्षेत्र में जाकर के देख सकते हैं. मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर ओम जी अकेले नहीं आये हैं, वह लोक सभा की टीम को लेकर भी आये हैं और इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से मैं हमारे विधायक भाईयों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा जीवन में विद्यार्थी भाव रहना चाहिये, यह सिर्फ नये विधायकों के लिये नहीं है बाकी मंत्रिगण के लिये भी है हम सबको यहां पर आना चाहिये और सीखना चाहिये. मैं अपेक्षा करूंगा कि दो दिन हमारे सभी माननीय सदस्य, मंत्रिगण इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित देखकर स्वयं भी सीखेंगे एवं कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ाएंगे निश्चित रूप से इसका जो सार निकलेगा, वह विधान सभा में हम सबको देखने के लिये मिलेगा. जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपेक्षा की है कि हम और हमारी विधान सभा हम सब मिलकर के गरिमा बढ़ा सकते हैं उसमें प्रबोधन कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. इसलिये मैं आप सब लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर विनम्रता के साथ कि आप अपना यहां पर दो दिन का समय दें, यह हमारे विधायी कार्य के लिये

बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. एक बार फिर से सभी अतिथियों का अभिनन्दन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय.

श्री पुनीत श्रीवास्तव, विस--उद्घाटन सत्र की इस कार्यवाही को हम यही पर विराम दे रहे हैं. अब चाय अंतराल होगा. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चाय ग्रहण करने का कष्ट करें. उसके उपरांत एक बजे से हमारा प्रथम सत्र प्रारंभ होगा कि हम प्रभावी विधायक कैसे बनें संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी मार्गदर्शन देंगे. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चाय के पश्चात् पुनः पधारने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय--चाय के लिये इस सभागार के बायीं ओर जो लॉबी है वहां पर चाय के लिये जाना है जो पत्रकार मित्र माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी की प्रेस कांफ्रेंस में रहेंगे वह विधान परिषद् का जो कक्ष है, उसमें चलेंगे. उसके उपरांत लोकसभा अध्यक्ष जी वहां पर जायेंगे. दूसरा सत्र ठीक 10 मिनट के बाद प्रारंभ हो जायेगा.

(12.50 बजे चाय के लिये 10 मिनट का अंतराल)

02 बजे

प्रथम सत्र

प्रभावी विधायक कैसे बने, संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण.

(वक्ता: श्री सतीश महाना, माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा.

सहयोगी : श्री प्रदीप दुबे, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा)

श्रीमती पूजा उदासी, रिपोर्टर(उद्घोषक) - नमस्कार, आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम के प्रथम सत्र में आप सभी का पुन: स्वागत है. प्रभावी विधायक कैसे बने, संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण इस विषय पर उद्बोधन हेतु हमारे बीच उत्तरप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सतीश महाना जी हैं, इनके साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा के ही प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी भी मंचासीन है. मैं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह से माननीय मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु अनुरोध करती हूं. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, पुष्पगुच्छ से मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा माननीय श्री सतीश महाना, अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधान सभा, माननीय श्री कैलाश विजय वर्गीय एवं श्री प्रदीप दुबे, प्रमुख सचिव, उत्तरप्रदेश विधान का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया.

स्वागतोपरांत

प्रमुख सचिव विस. - आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री, माननीय कैलाश विजय वर्गीय जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा की ओर से सहयोगी के रूप में उपस्थित मेरे मित्र आदरणीय प्रदीप दुबे जी उपस्थित हैं. माननीय सदस्यों के प्रबोधन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है. माननीय सतीश महाना जी का मैं संक्षेप में परिचय देना चाहता हूं.

माननीय सतीश महाना जी, कानपुर से अपना विधायकी की दायित्व निर्वहन करते हैं और लगातार वहां से 8 बार निर्वाचित हुए हैं(..मेजों की थपथपाहट) वे कई समितियों के सदस्य भी रहे हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों का पद भार उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालन किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंडल के उपनेता के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं. उसके बाद आप वर्ष 2022 से आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं. आपका एक लंबा अनुभव संसदीय कार्य को लेकर है. आपने बहुत सारे नए आयाम उत्तर प्रदेश विधान सभा में संसदीय प्रक्रिया को लेकर के स्थापित किए हैं, उनका विशेषाधिकार से संबंधित प्रकरण हम सभी के मन-मस्तिष्क में बिलकुल ताजा है, जिसमें उन्होंने कतिपय माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार के प्रकरण में वहां के पुलिस अधिकारियों को विधान सभा के कटघरे में खड़ा करके उन्हें विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर दंडित भी किया था. ऐसे कई मापदंड उन्होंने वहां स्थापित किए हैं, मैं इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे हमारे विधायकों को प्रभावी विधायक कैसे बने, उसके संबंध में वे यहां उद्बोधन देंगे, आदरणीय महाना जी.

श्री सतीश महाना(अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधान सभा) - नवगठित मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित, मध्यप्रदेश राज्य के माननीय संसदीय कार्यमंत्री, कुशल संगठनकर्ता, जिनकी पहचान पूरे देश में है, जिनका स्नेह और संरक्षण मुझे कई अवसरों पर मिला है, ऐसे आदरणीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी. मेरे साथ उपस्थित उत्तरप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी. इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठजन यहां पर बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित विधायक, भाईयों बहनों और सज्जनों. विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्कृष्ट विधायक कैसे बने? सबसे पहली बात है कि विधायक कैसे बने? तो उत्कृष्ट तो दूसरे नंबर पर आता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी को मालूम है कि जनता के बीच में जिस संगठन से हम

आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, उसकी नीतियां, उसकी नीतियों के तहत हमारा कर्तव्य, और हमारा कद वह दोनों जिस समय मैच करते हैं, तब जनता हमें विधायक के रूप में चुनती है. मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब लोग हमारे लिए वोट डालने निकलते हैं तो उनके ध्यान में आता है कि हम कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पर उनको ध्यान में आता है कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं और जब वे घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचता है और मशीन के सामने खड़ा होता है और बटन दबाता है तो उसका विश्वास उसके प्रति होता है और जीवन में विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी चीज नहीं हो सकती. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारे को कितना काम करना है, जनता ने हमें क्यों चुना है, उन्होंने उस बटन को क्यों दबाया है, उनके मन और मस्तिष्क के अंदर क्या विचार होगा कि उन्होंने आपके नाम के आगे की बटन को दबाया या पार्टी के नाम के आगे की बटन को दबाया, जब हम इस बात को उस हेतु कहते हैं, जैसे हम कभी कभी आजादी की बातें करते हैं तो कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के अंतर्गत कौन सा विचार होगा कि आजाद हिन्दुस्तान कैसा होगा, इस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय हो जाएगा. लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चुना है वह कैसा होगा, उसका कैसे व्यवहार होगा, हमारे साथ. जैसे डाक्टर के पास मरीज जाता है तो जो मरीज को लेकर जाता है वह सोचता है कि मैं ही सबसे जरुरी हूं और मुझे ही सबसे पहले डाक्टर देख लें, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि किसको कितना महत्व देना है, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है कि जनता के काम के लिए आपको अपनी प्रियोरिटीज तय करनी पड़ेगी. जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है, उसको कैसे पूरा करना है ये तय करना पड़ेगा. ये महत्वपूर्ण है कि आप जनता के कितने कामों को करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप जनता के काम करने का कितना प्रयास करते हैं. सारे काम हो जाएंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सारे कामों के प्रयास की हम जरूर गारंटी दे सकते हैं, इसलिए हमें प्रयास जरुर करना चाहिए. जब हम सच्चे मन से करते हैं तो जितना हम अपने बारे में जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत,

उससे ज्यादा हमें जनता जानती है. मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मध्यप्रदेश की विधान सभा बहुत गरिमामयी विधान सभा है, जहां के सम्मानित विधान सभा अध्यक्ष, इतने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रहने के बाद अब उस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं. मैंने श्रद्धेय श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर से कहा था कि आपके उस कुर्सी पर बैठने से हमारा भी सम्मान बढ़ गया है, तो ये विधान सभा का सम्मान बढ़ा कि आप उस कुर्सी पर बैठे. जिस विधान सभा में कई बार जीते हुए माननीय विधायक कैलाश जी हो, सकलेचा साहब बैठे हुए हैं, विश्नोई साहब बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से पुराने समय से परिचित हूं, उस विधान सभा का सदस्य होना, नए विधान सभा के लिए बहुत गरिमा की बात है और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारा आचरण, व्यवहार और स्वभाव कैसा होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है. जनता हमारे पास आती है तो सब कुछ काम, हम विधायक भी चाहते हैं कि सारे के सारे काम हो जाए, पहली बार जीता हूं और अगली बार कैसे जीतूंगा इसके लिए काम करना शुरू कर देता है, पहले दिन से ही, अपने अपने तरीके से. लेकिन किसी ने एक प्रबोधन कार्यक्रम में मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि आप अपनी विधान सभा के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माइंड को कूल करके प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा उत्तेजित मत होइए, बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, उन्होंने कहा क्यों, मैं चाहता हूं कि सब कुछ काम हो जाए. मैंने कहा मैं 8 बार जीत गया, तब भी मेरे यहां सब कुछ काम नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास काम बाकी है. आज भी काम बाकी है, ऐसा थोड़ी है कि मैं आठवीं बार जीत गया तो मेरी विधान सभा में कोई प्राब्लम नहीं है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी भी खत्म नहीं होती है, जो डेव्हलपमेंट कंट्रीज हैं, चाहे हम किसी की भी बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, क्या वहां पर नगर निगम के कार्यालय नहीं है क्या, वहां पर सड़क बनाने का काम नहीं होता है क्या ? वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं होती है क्या, हमारा कमिटमेंट काम करने की ईमानदारी से झलकता है,

लेकिन उसके लिये यहां पर माननीय तोमर साहब ने कहा था कि विधानसभा में उत्साह बहुत है, उत्साह दिखना चाहिए लेकिन उत्साह होना भी चाहिए, तो इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूं. हम लोग जितना भी लोगों के बीच में काम करें, लोगों का यह परसेप्शन है पोलिटीकल आदमी के लिये कि वह कभी कभी बहुत पाजीटिव नहीं होता है, यह अभी कुछ दशकों की बात नहीं है कि दो, चार, पांच, सालों में बिगड़ गया, दस सालों में बिगड़ गया, पंद्रह सालों में बिगड़ गया, कई दशकों से नहीं है, कभी कभी तो लोग तो नेताओं से यह कहना शुरू कर देते थे कि जिसको कुछ नहीं आता, वह नेता बन जाता है, एक वह चुटकुला भी था कि घर में जो सबसे ज्यादा अनपढ़ था, उसको नेता बना दिया, लेकिन हम सब लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी की जिसको कुछ नहीं आता, वह नेता नहीं है, जिसको सब कुछ आता है, वह नेता है. कोई भी किसी भी विभाग का आदमी चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह किसी क्लब का अध्यक्ष हो, चाहे वह किसी संस्था का अध्यक्ष हो, या डिग्री कॉलेज का हो, या किसी इंस्टीट्यूशन का सदस्य हो, वह मुख्य अतिथि के रूप में आपको ही बुलाना चाहता है कि आप उसकी शोभा बढ़ायें, इसका मतलब जो कोई भी काम नहीं कर सकता है, वह काम हम कर सकते हैं,तो जब कोई भी न करने वाले काम को हम कर सकते हैं, तो फिर हमारा महत्व कितना है, हम कभी-कभी राजनीतिक क्षेत्र में आलोचना के शिकार हो जाते हैं कि वह हमारी आलोचना कर रहे हैं. हमारे को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हमें किसी की आलोचना और किसी की प्रशंसा से बचकर रहना चाहिए. आलोचना ऐसी कि किसी आदमी के दस काम कर दो, तो भीड़ के अंतर्गत वह आपके पास आयेगा, ग्यारहवां काम नहीं होगा, वह आपसे नाराज हो जायेगा. आपको लगता है कि यार इतने काम इसके कर दिये फिर भी यह नाराज हो रहा है, तो उसकी नाराजगी से आपको विचलित नहीं होना है, उसको ध्यान से सुनकर उसको कैसे ठीक करना यह देखना है और प्रशंसा से भी बचकर रहना है कि किसी का कोई भी काम नहीं हुआ, आपको

आकर मक्खनबाजी कर रहा है, बहुत चतुर है कि इनको मक्खन लगा दो भाई हमारा काम हो जायेगा, आपको आकर कहेगा कि भाई अगर सबसे बड़े नेता के बाद किसी का नंबर आता है तो आपका ही आता है, तो आप कभी-कभी उसमें खुश होकर भी उस ओर बह जाते हो, तो आलोचना से और प्रशंसा से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिये, आपको अपना काम अपने तरीके से, सागर के तरीके से आपको काम करना है. आपको धरण करना है, जिस पद को आपने धारण किया है, उसकी सेंटीटी को बनाये रखने के लिये आपको काम करना है, मुझे एक बात याद आ गई, एक समुद्र की एक छोटी सी कहानी की समुद्र के किनारे एक व्यक्ति तैर रहा था, उसने एक व्यक्ति को रेत के ऊपर लिखते हुए देखा कि समुद्र दानी है, तो उससे पूछा कि भाई समुद्र दानी क्यों है, तो उसने कहा कि समुद्र ने मुझे मोती दिया है, मुझे दान किया है, उसके कारण मेरे पास पैस आया है. थोड़ा आगे बढ़ा, उसने उसी रेत के ऊपर एक आदमी को लिखते हुए देखा कि समुद्र चोर है, तो उसने पूछा कि समुद्र चोर क्यों है? तो उसने कहा कि मेरी चप्पल किनारे पड़ी थी, वह बहाकर ले गया, चोरी करके ले गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक आदमी उसी रेत के ऊपर लिख रहा था कि समुद्र पालनहार है, उसने पूछा कि समुद्र पालनहार क्यों है, तो उसने कहा कि मैं इससे मछली पकड़ता हूं, मेरी रोटी रोजी उससे चलती है, समुद्र पालनहार है, थोड़ा आगे और बढ़ा तो एक व्यक्ति उसी रेत के ऊपर लिख रहा था, समुद्र हत्यारा है, तो उसने पूछा कि हत्यारा क्यों हैं, तो उसने कहा कि मेरा बेटा उधर गया था, तो उसने डुबाकर मार दिया, इसलिये समुद्र हत्यारा है, उतनी देर में समुद्र की एक लहर आई और सबको मिटाकर वापस चली गई, वह रेत वैसी की वैसी थी, समुद्र अपना धारण करके अपने हिसाब से काम करता हुआ चला गया, हम सब विधायकों को उसी तरह से आचरण और व्यवहार करना चाहिये कि कोई जिसका काम कर देंगे वह प्रसन्न हो जायेगा, जिसका काम नहीं करेंगे, वह आलोचना करेगा और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आलोचना करने वालों की

संख्या बहुत कम है. आलोचना हमें विचलित करती है, हमारे कान में वह ज्यादा सुनाई पड़ती है, क्योंकि जिसका आपने काम कर दिया है, वह कहीं भी बताने नहीं जा रहा है और जिसका आपने काम नहीं किया है, वह सौ जगह बताने जा रहा है. गलत काम करने के लिये कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपने कोई गलत काम कर दिया, गलती से किसी को डांट दिया, आजकल के जमाने में तो वीडियो क्लीपिंग एक मिनट में चली जायेगी, क्यों डांटा यह किसी को नहीं पता है, उतना ही पोर्शन चलेगा, जितने में आपने उसको डांटा है, तो वह तो अपने आप ट्रवल कर जायेगा, लेकिन अच्छा काम करने के लिये आप सौ बार ऊंचा-ऊंचा भी बोलोगे न, तब भी लोगों को समझ नहीं आयेगा तो अच्छा काम और सही काम करने के लिये आपको बताने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिये आपको मुखर होकर अपनी बात कहना चाहिए, खराब काम बताने की जरूरत नहीं, वह जनता अपने आप ही बताती है, इसलिये जितना भी अच्छा काम है, उसके लिये आपको मुखर होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा, आजकल बहुत सारा सिस्टम है, डिजीटाईजेशन है, उसके माध्यम से आप जनता के बीच में कैसे पहुंच सकते हो, अपने कामों को कैसे पहुंचा सकते हो. हर हालत में लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए. फिर मुझे एक बात ध्यान में आई, एक व्यक्ति था उसकी सब लोग बहुत प्रशंसा करते थे, आपकी भी बहुत प्रशंसा करेंगे, तो कभी उसने एक ओवर हर्ट किया, तो यह बैठा हुआ था, तो पीछे कुछ लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, इसके सामने ही प्रशंसा करते हैं, पीठ के पीछे तो लोग इसकी बुराई करते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, उसने वह देखा और सुना उसको लगा यार सच में यह कह रहे हैं कि मेरे सामने तो लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं, हो सकता है जो बात आप कह रहे हों, वह सच्ची बात हो, तो उस दिन से उसके सामने जो प्रशंसा करता था उसको लगा यह झूठा है, यह सामने प्रशंसा करता है, पीठ के पीछे बुराई जरूर करता होगा, तो अच्छा काम करने वाला भी परेशान हो गया, उसकी पत्नी ने देखा कि कुछ दिन से इसका व्यवहार बदला हुआ नजर

आ रहा है, पत्नी ने पूछा कि क्या बात है तो उसने पूरी बात बताई कि लोग पीठ के पीछे तो मेरी बुराई करतें हैं, सामने मेरी प्रशंसा करते हैं तो उसकी पत्नी बहुत परेशान थी, उसने एक दिन उसके पति के मित्र से कहा कि यह बहुत परेशान रहता है और यह कारण है. उसने कहा कि कोई बात नहीं, यह मेरे पास आये एक दिन हम लोग गपशप करेंगे और मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वह उसके घर गया, अपने मित्र के पास शाम हो गई, उसने कहा मैं चलूं, उसने कहा कि नहीं थोड़ा रूको, गर्मी के दिन थे गांव में, उसने बाहर चारपाई डाल दी, बारिश के दिन थे, उसके नीचे छप्पर के नीचे, रात में वह सो नहीं पाया, एक तो परेशान था और बगल के तालाब से आवाज आ रही थी, टर्र-टर्र, बहुत आवाज आ रही थी, तो वह आवाज उसको बहुत परेशान कर रही थी, जिसके कारण वह सो नहीं पाया उसने कहा कि मुझे घर जाना है, तो उसने कहा नहीं रूको-रूको, वह रूका. सबेरे वह और उसका मित्र तालाब के पास गये और उसने वहां पर एक जाल डालकर उन मेंढकों को बाहर निकाला, तो जब मेंढकों को गिना तो वह पांच थे, तो उसके मित्र ने कहा कि पांच लोग हैं, जो टर्र टर्र कर करते हैं जो तुम्हारे दिमाग में घुंसे हुए हैं और वह 95 लोग हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुमने उनको अपने दिमाग से निकाल दिया, तो टर्र टर्र करने वालों से बचकर रहने की जरूरत है, वह अपनी बात कहेंगे, इनसे चिंता नहीं करनी है. हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जनता का प्रतिनिधित्व सौभाग्य से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई दशकों तक मेहनत करते हैं, शुरू से लेकर संगठन का भी काम करते हैं,अपनी-अपनी पार्टीज में काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं, लेकिन उनको कभी-कभी अवसर नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही समाज का काम कर सकता है, तो हम लोग जब चुनकर आये हैं तो हमारे को इस बात को मानना चाहिए कि हमारी मेहनत के साथ हमारे ऊपर उस प्रभू की कृपा है, उसकी कृपा इसलिये कि हमारे को समाज का काम करना है, और जो लोग

उसको नहीं करते हैं, जनता अपने द्वारा दी हुई चीज उनसे वापस छीन लेती है, तो बहुत ध्यान से इस बात को सुने और आपको इरीटेट नहीं होना, कभी भी इरीटेट नहीं होना है. आज इस समय हम इतने बड़े हॉल में बैठे हुए हैं, विधानसभा के मंडप के अंतर्गत हम बैठेंगे, तो वहां पर बैठने के लिये हम सबकी क्वालिफिकेशन है, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सबकी क्वालिफिकेशन एक ही है कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है, उसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन वहां पर बैठने की और कोई किसी की भी नहीं है, कभी-कभी बहुत काम करने वाले भी जीत जाते हैं, कभी-कभी बहुत काम करने वाले नहीं भी जीत पाते हैं, काम महत्वपूर्ण है, काम अपने क्षेत्र का करना चाहिए, लेकिन काम से ज्यादा आपका व्यवहार आपके साथ में चलता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके कारण हमें यह समझना चाहिए कि जिस आदमी ने हमें वोट दिया है, अगर वह हमारे पास किसी काम के लिये आया है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसका काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ व्यवहार तो अच्छा कर सकते हैं, पुरानी कहावत है कि गुढ़ नहीं दे सकते हैं लेकिन गुढ़ जैसी बात तो कर सकते हो और आजकल के युग में लोग बहुत स्पष्ट है, आजकल का हमारा नौजवान वह बहुत मुखर है, जो काम नहीं हो सकता है, जो काम हो सकता है उसका प्रयास जरूर करना चाहिए, जो काम होने वाला है, उसके लिये भी प्रयास करना चाहिए लेकिन मालूम है कि जिस काम को वह कह रहा है कि यह संभव नहीं है तो उसको न कहना भी सीखिए, न कहना राजनीति में बहुत मुश्किल है, लेकिन न आप कहोगे, कभी-कभी मैं लोगों को कहता हूं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूं हो सकता है कि आपको अप्रिय लगे लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा कि इसी व्यक्ति ने सही बात कही. मैं अपने क्षेत्र में एक जगह गया लोगों ने कहा कि यह काम करवा दो, तो मैंने कहा कि यह काम संभव नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि आप पहले विधायक हो जो यह कह रहे हो कि यह कार्य संभव नहीं है. मैंने कहा तो,तब वह बोले कि आपसे पहले किसी विधायक ने नहीं कहा कि यह

संभव नहीं है, सबने कहा कि यह हो जायेगा, आप ही हो जो यह कह रहे हो कि संभव नहीं है, मैंने कहा कब से लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि 25 साल से कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जिसने कहा हो यह काम नहीं हो सकता, तो मैंने कहा किसी ने कराया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैं भी बोलता हूं कि हो जायेगा. अगर कराना नहीं है और सिर्फ कहना है तो मैं भी इस बात को कहने के लिये तैयार हूं. इसीलिये ना कहना, जो काम नहीं हो सकता उसके लिये भी हमको सीखना चाहिये, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है. आजकल के जमाने में जैसे हमें अपने विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिये, विधान सभा क्षेत्र के नाते से आप जीतकर आये हो, लेकिन कभी कभी हम अपने विधान सभा क्षेत्र को ही सारा जीवन दे देते हैं कि यही है हमारा जीवन इसके बाहर कुछ नहीं है, हमें उसके बाहर भी निकलकर उसके लिये ही काम करना है, विधान सभा के अंतर्गत आप अच्छे प्रभावी विधायक बन सकते हो, आप अच्छी डिबेट कर सकते हो, आप पढ़कर आओ, पढ़ना बहुत जरूरी है. लोग कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं होता, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो वह राजनीतिक व्यक्ति को ही पड़ती है. विधान सभा में तर्क के साथ अपनी बात रखिये, भाषण देने वालों को भाषण सुनाना सबसे मुश्किल काम है. यहां 230 सदस्य हैं, 230 सदस्यों को एक सदस्य के द्वारा भाषण सुनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहां सारे भाषण देने वाले ही तो बैठे हुये हैं. जिस दिन आपका भाषण 230 सदस्य सुनना शुरू कर दें उस दिन आप समझना कि आप विधान सभा में नेता हो गये हो उसके पहले आप नेता नहीं हो सब बराबर हैं. इसके लिये आपको एक अवसर मिला है, एक जमाने में होता था कि हम लोग नारे लगाते थे, गर्भगृह में आ जाते थे गर्भगृह में आने के बाद बहुत हो हल्ला होता था क्योंकि अखबार में अगले दिन छपने का वही एक माध्यम होता था, वही एक रास्ता होता था किसी को पता ही नहीं कि क्या किया, अब ऐसा नहीं है, अब सब ऑनलाइन है मेरे ख्याल से हमारी विधान सभा का प्रसारण लाइव होता होगा, यू-ट्यूब पर लाइव होगा तो यू-ट्यूब आपका लाइव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, नहीं है तो यू-ट्यूब लाइव कीजिये, जब यू-ट्यूब लाइव हो जायेगा तो आपके

विधान सभा क्षेत्र के लोग इंतजार करते हैं कि अब हमारा विधायक बोलेगा और आप जो कुछ बोलते हो आप उस क्लिपिंग को अपने विधान सभा क्षेत्र में अपने जिले में डाल देते हैं और जो कुछ आप बोलते हो वह अगर प्रदेश लेबल का है तो आपकी पहचान प्रदेश लेबल के ऊपर है. आपको एमएलए तो आपकी विधान सभा बना सकती है, लेकिन प्रदेश और देश का नेता आपको विधान सभा का मंच ही बना सकता है जहां पर आप चुनकर आये हो. आप विधान सभा के मंच को कैसे अच्छा बना सकते हो, कैसे अपने लिये बना सकते हो, कैसे अपने क्षेत्र की जनता के लिये बना सकते हो, अपने शहर के लिये बना सकते हो, अपने प्रदेश के लिये बना सकते हो. आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा कि आप लोकसभा में तो कभी नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में कभी नहीं रहा मैं सिर्फ मध्यप्रदेश विधान सभा में रहा हूं, तो मैंने कहा कि आप मध्यप्रदेश विधान सभा में होने के बाद भी आज पूरा देश आपको जानता है, केवल इसलिये नहीं जानता कि आप किस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आये हैं पूरा देश आपको इसलिये जानता है कि आपका जो परफार्मेंस विधान सभा में हुआ होगा, जो आपने वहां पर काम किया होगा उसकी सुगंध प्रदेश में गई होगी, देश में गई होगी इसलिये लोग आपको जानते हैं, तो सीखने की आवश्यकता है. हम हर सदस्य से सीख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है हम सत्ता पक्ष से भी सीख सकते हैं, हम विपक्ष के सदस्यों से भी सीख सकते हैं. विपक्ष के भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे होंगे उनको भी इस बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं विपक्ष में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिये ज्यादा अवसर हैं, सरकार में अवसर कम होते हैं. प्रतिपक्ष में अवसर ज्यादा होते हैं और कभी कभी व्यक्ति प्रतिपक्ष में होता है तो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं मैं तो सरकार में नहीं हूं. प्रतिपक्ष में रहकर आसान होता है, सरकार में रहकर मुश्किल. सरकारी आदमी से व्यक्ति अपेक्षा करता है कि जो मैं कहूंगा वह कर देंगे. एमएलए बनने के बाद जब लोग आपके पास आयेंगे तो लोग आपको अलादीन का चिराग समझेंगे कि जो कहा है उसको रगड़ो वह निकलकर आयेगा, कहेंगे कि आपके लिये क्या मुश्किल है और जो सत्तापक्ष के विधायक हैं उनसे कहेंगे कि आपकी सरकार है और आप ही मना करेंगे तो कैसे

होगा, आप तो जो चाहोगे हो जायेगा. आज एमएलए के पास हर प्रकार की समस्या आती है चाहे वह डेव्हलपमेंट से संबंधित हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह पारिवारिक हो, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि पति पत्नी का विवाद भी अब विधायक ही सुलझाते हैं उसके लिये भी आ जाते हैं कि भाई साहब पत्नी के साथ पट नहीं रही या पति के साथ नहीं पट रही तो इस तरह के मामले भी आ जाते हैं तो फिर क्या हर समस्या का समाधान हमारे पास है, हर समस्या में हम 100 प्रतिशत सफल हो सकते हैं क्या, नहीं. इसीलिये मैंने कहा न पेसेंस बहुत जरूरी है. हम विधान सभा में आये हैं जो भी यहां पर पुस्तकें दी गई होंगी, रूल बुक जरूर पढ़िये, आपको विधान सभा में अपनी बात विभिन्न नियमों के अंतर्गत कहने का बहुत अवसर है पर इस 16वीं विधान सभा के माननीय सदस्यों को पढ़ना इसलिये ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो अध्यक्षीय पीठ पर बैठे हुये व्यक्ति हैं उनको सबकुछ पता है, उनसे अगर आपको तर्क करना है तो आप बिना पढ़े तर्क नहीं कर सकते तो इसीलिये सामने वाले व्यक्ति के कद के हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना है, मुश्किल काम है लेकिन तैयार करना पड़ेगा उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप उसके लिये कैसे तैयारी करके आओगे. आपको प्रश्न लगाने हैं, प्रश्न कितने समय से लगना चाहिये, प्रश्न पहले दिन लगना चाहिये. अलग-अलग विधान सभाओं में अलग-अलग नियमावली है हमारे यहां सन् 1958 से नियमावाली चल रही थी, हमने उसको चेंज किया, मैंने कहा कि हम पूरी नियमावली री-राइट करेंगे, तो कहा कि कैसे कर सकते हैं क्या जरूरत है, मैंने कहा जरूरत है. सन् 1958 में जिस समय नियमावली बनी थी उस समय हर सीट के ऊपर टेबलेट नहीं था अब ई-विधान की बात हुई है माननीय अध्यक्ष जी ने नेवा की बात की थी आप लोगों ने सुना होगा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन पूरे देश की विधान सभाओं को एक प्लेटफार्म पर जोड़ने का, पूरे विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिये उनकी सीट के ऊपर ही पूरी की पूरी डिवाइस होती है. उत्तरप्रदेश की विधान सभा पेपरलेस विधान सभा है. हर सीट के ऊपर डिवाइस लगी है, हर सीट के ऊपर टेबलेट है और एक टेबलेट हमने अलग से दिया है वह उनके साथ जुड़ा हुआ टेबलेट है. हर मिनिस्टर के पास और विधान सभा के सेक्रेटरी जो मेरे सामने बैठे होते हैं तो जिस समय विधान सभा चल रही होती है उसी

समय मैं अपने टेबलेट के ऊपर लिखकर इनको मेसेज भेज देता हूं क्योंकि फोन एलाऊ नहीं है, बातचीत कर नहीं सकते तो इनको मेसेज पहुंच जाता है यह उस मेसेज को संबंधित अधिकारी को भेजकर वहीं बैठे-बैठे कोई विषय आता है तो उस विषय की जानकारी वहीं मिल जाती है तो अब जो डिजिटलाइजेशन है जो ई-विधान लागू होने जा रहा है उसके साथ भी आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, आपका उसके साथ री-कंसीलेशन होना चाहिये, उसके साथ आपका एलाइंमेंट होना चाहिये, अब वह टाइम नहीं है कि हम इंतजार करेंगे कब होगा, एक जमाना होता था कि नोटिस जाता था और नोटिस का जवाब आने के लिये 60 दिन का समय दिया जाता था, 90 दिन का समय दिया जाता था, अब वह समय नहीं है. 16वीं विधान सभा में समय भी कम होगा, हमने हमारी पूरी विधान सभा की नियमावली री-राइट की है. पहले जमाने में होता था कि 15 दिन की सूचना देनी पड़ती थी विधान सभा का सत्र बुलाने के लिये, 15 दिन की सूचना इसलिये देना पड़ती थी कि वह पत्र विधायक जी के घर जायेगा, वह घर पर नहीं मिलेंगे तो वह उनको ढूंढेगा, उनको सूचना देगा तब पता चलेगा. आजकल तो केबिनेट प्रस्ताव करती है, महामहिम राज्यपाल जी जब तब नोटिफिकेशन करते हैं उससे पहले ही सबको पता चल जाता है तो 15 दिन की क्या जरूरत है, हम 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर भी कर सकते हैं. पहले हम विभिन्न नियमों के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की बात करते हैं, औचित्य के प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, यहां अलग-अलग नियमावली होगी तो वहां पर पब्लिक इंट्रेस्ट के जो इश्यूज होते हैं हमें उसका जवाब चाहिये, 90 दिन में जवाब देंगे, क्यों भाई, 90 दिन में क्यों जवाब दोगे, इसलिये हमको नई टेक्नालॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा और यह कोई मुश्किल काम नहीं है. मैं याद दिलाना चाहता हूं आज से 10-15 साल पहले जब स्मार्टफोन आया था स्मार्टफोन हमारे हाथ में होता था तो हमारे जैसा व्यक्ति कहता था कि यार हमें क्या मतलब हमें तो ऑन करके सुनना और आफ कर देना है इससे ज्यादा क्या काम, स्मार्टफोन का हम क्या करेंगे, लेकिन अब किसी का भी काम उसके बिना नहीं चलता. हमारे यहां तो अटेंडेंस भी उसी में लगती है सब कुछ उसी से होता है. तो इसीलिये रूल बुक पढ़िये जरूर.और रूल बुक पढ़ने के साथ लेटेस्ट टेक्नालाजी के साथ अपने आपको

तालमेल करिये. आप जितना इसमें समन्वय करेंगे आपको काम करने में आसानी होगी. लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधि से महत्वपूर्ण और कोई नहीं. हमारे संविधान में तीन व्यवस्थाएं दी गई हैं. विधायिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका. कालांतर में हम सब लोगों ने देखा कि मीडिया भी एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है. तो हमने चौथा स्तम्भ उसको कहना शुरू कर दिया लेकिन संविधान में उसकी कोई व्यवस्था आज तक भी नहीं है. मैं मीडिया के मित्रों से भी इस बात को कहता हूं और विधायकों को भी इस बात के लिये सावधान करना चाहता हूं कि अब ए.आई. आ रहा है. डीप फेक आ रहा है. किस विधायक ने कहां कौन सी बात कही कि नहीं.वह वहां उपस्थित था कि नहीं लेकिन आपके बारे में सब कुछ आ जायेगा कि आप यह बोल रहे हो. मैं मीडिया के दोस्तों को कहता हूं कि सारी जिम्मेदारी विधायक की है क्या. किसी के क्षेत्र में कोई प्राबलम है वहां सड़क नहीं है. तो दिखाएंगे कि इस विधायक के यहां सड़क नहीं है. यह विधायक कोई काम नहीं करता. या स्कूल नहीं है तो वह स्कूल के लिये जिम्मेदार है. बिजली नहीं आ रही है तो उसके लिये वह जिम्मेदार है. सिंचाई नहीं हो रही है तो उसके लिये वह जिम्मेदार.अस्पताल के लिये वह जिम्मेदार है. सभी कामों के लिये वह जिम्मेवार है और उस जिम्मेवारी के कारण अगर किसी विधायक ने किसी अधिकारी को डांट दिया तो कहेंगे कि यह विधायक तो सरकारी काम में बाधा करता है. अधिकारी को डांटता है. इस विधायक ने ऐसा किया. तो आपने अपने जनहित के कार्य के लिये संबंधित अधिकारी को कहा तो आप बहुत खराब व्यक्ति हुए. और आपके डांटने के बाद बाई चांस वह रोड अच्छी बन गई. तो लोग कहेंगे कि नगर आयुक्त बहुत अच्छा आया उसने सड़क बनवा दी तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहां खड़ा था. जहां खड़ा था बेचारा वहीं. तो अब आज के इस युग के अंदर हमें उसको चेंज करना है. जितनी तेजी से ट्रांसफार्मेशन हुआ है. जितनी तेजी से पिचले 5-10 सालों के अंदर हुआ है शायद यह कभी नहीं हुआ. पुराने लोग हैं. हम भी पुराने लोगों में से आते हैं एक सिस्टम चल रहा है चल रहा है चल रहा है उसके परिवर्तन की कभी आवश्यक्ता नहीं पड़ी लेकिन इधर 10-15 सालों में बहुत तेजी से उसमें परिवर्तन आ गया है तो मैं सारे माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह नया समय है और नये समय के हिसाब से आपको उसके साथ समन्वय करके आगे बढ़ना है. आप अपने क्षेत्र की चिंता करिये. आपके लोगों के साथ आपका कनेक्ट बना रहना चाहिये. वह कनेक्शन आप कैसे बना सकते हो यह भी संभव नहीं है कि कभी-कभी कुछ माननीय विधायक कहते हैं कि बस हम जीत गये हैं क्षेत्र में घूमते रहते हैं तो क्षेत्र में घूमते रहने से हो सकता है आप दोबारा जीत जाओ लेकिन क्षेत्र में घूमते रहने से आप नेता नहीं बन

सकते क्योंकि जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा. आपको विधायक इसलिये चुना गया कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करो. विधायक इसलिये नहीं चुना गया कि रोज आप उनको नमस्ते करो. आप रोज भी जाओगे. किसी के घर में आप छह महिने बाद गये तो छह महिने के बाद उसका पड़ोसी आया भाई साहब, आप तो दिखाई नहीं पड़ते हैं. आप तो साल-दो साल हो गये जब दिखाई पड़े. जब फिर आऊंगा तो वह कहेगा कि आपको तीन साल हो गये. आपको ढूंढ-ढूंढ कर सबको मिलना संभव नहीं है. क्षेत्र की जनता के साथ कनेक्शन बनाये रखना आवश्यक है लेकिन उस कनेक्शन को भी किस प्रकार से हम आज कल के जमाने में बना सकते हैं. पब्लिक की जो समस्या आती है उसके लिये एक स्थान जरूर तय करिये लोगों को मिलने का. सारे माननीय सदस्यों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपका एक स्थान और समय जरूर तय होना चाहिये,दिन तय होना चाहिये. रोज मिलना है तो अच्छा है अगर आपका क्षेत्र में घर है तो आप रोज मिल सकते हैं कैसे मिल सकते हैं कितनी देर मिल सकते हैं. फिर कोई आदमी आपको यह नहीं कह सकता कि आप मिलते नहीं है. जब आपका स्थान समय और दिन तय है तब आप लोगों को कह सकते हो कि हम आपसे रोज मिलते हैं. अब हर व्यक्ति के पास आप पहुंच रहे हैं. मेरा ख्याल है कि मध्यप्रदेश की विधान सभा का एरिया भी बहुत बड़ा-बड़ा ही होगा. 10-15 कि.मी. से ज्यादा ही होगा. आप सोचें कि क्या यह संभव है. संभव नहीं होने के बाद भी आप कई बार जीतते हो तो कई बार जीतने का एक ही मंत्र है. सहनशीलता,मुंह में मिठास. प्रशंसा से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि मैं ब हुत अच्छा हो गया हूं. आलोचना से यह नहीं मान लेना कि मैं खराब हो गया हूं. दिस इज पार्ट आफ द लाईफ. यह चलती रहेगी. जितना मर्जी हो काम करो और इसलिये जब हम इन बातों का जिस समय ध्यान रखेंगे और तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी अप्वायटिंग अर्थारिटी के प्रति आपलो लायल रहना पड़ेगा. किसी ने मुझसे पूछा कि आपका मूल मंत्र राजनीति में क्या है तो मैंने अपने मूल मंत्र को बताया कि मेरा मूल मंत्र यह है कि आई एम लायल टू माई अप्वायंटिंग अर्थारिटी. जिसने आपको नौकरी दी है तो नौकरी में जाते हैं तो नौकरी के प्रति लायल्टी होना चाहिये. उस संस्था के प्रति आपको लायल्टी होनी चाहिये. तो पहली लायल्टी मेरी, मेरी पार्टी के प्रति.किसी भी पार्टी के हों. जिसने हमको टिकट दी. उसके कारण हम जनता के पास गये. पहला अवसर किसने दिया हमारी पार्टी ने तो लायल्टी टू अप्वायंटिंग अर्थारिटी नंबर वन, पार्टी. दूसरे नंबर पर है हमारे वर्कर के प्रति जो हमारे और जनता के बीच में सेतु का काम करता है. आपका वर्कर आपके बारे में अच्छा कहना शुरू कर देता है तो जनता आपको अच्छा कहती है और आपका

वर्कर आपके बारे में निगेटिव बोलना शुरू कर देता है तो जनता आपको नेगेटिव समझती है. तो आपकी लायल्टी आपके वर्कर के प्रति होना चाहिये तो लायल्टी टू पार्टी के बाद नंबर 2 वर्कर और लायल्टी नंबर 3 आपका वोटर. जनता ने आपको चुना उसके प्रति लायल होना चाहिये. जितना आप इन तीनों के प्रति लायल होंगे तो आपको जिंदगी में कोई भी नहीं हरा पाएगा और जिस समय लायल्टी की बात आती है तो मैं पीपुल्स आफ कांस्टीट्यूएंसी की मैं बात करता हूं. मैं यह नहीं कहता कि वोटर के प्रति तो होना चाहिये. आपको आपके लोगों के प्रति आपको लायल रहना है. जिस समय आप जीत जाते हो तो आप ही उस क्षेत्र को रिप्रजेंट करते हो.कभी-कभी मेरी कांस्टीट्यूएंसी मैं, जब मैं पहली बार जीता तो उन्होंने कहा यह हमारे विधायक नहीं है. मैंने कहा तुम्हारा कौन है बता दो तो विधायक तो वही है जो जीता जिसके पास सर्टिफिकेट है. जो विधान सभा में रिप्रजेंट कर रहा है उस क्षेत्र को वही विधायक है तो विधायक आप सबके हो. आप जिस समय पहली बार चुन जाते तो कभी-कभी आपके ध्यान में होता है कि इसने हमें वोट नहीं दिया तो मैं इसका काम क्यों करूं.जिसने भी आपको वोट दिया. अगले इलेक्शन में सब आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते. बहुत सारे लोगों का काम आप नहीं कर सकते. चाह कर भी नहीं कर सकते. नियम के अनुसार नहीं कर सकते होंगे. कांस्टीट्यूशन के हिसाब से नहीं कर सकते होगे.नियम के अनुसार नहीं कर सकते होगे.परिस्थितियों वश नहीं कर सकते होगे. तो आपको नये लोग भी बनाने हैं. अभी जब मैं लंच ले रहा था तो किसी ने बोला कि हर बार इन्हें बढ़कर वोट मिलते हैं. तो हर बार बढ़ते इसलिये हैं ना जिन्होंने पिछली बार नहीं दिया उन्होंने दिया तो वोट का आधार आप कैसे बढ़ा सकते हो यह भी आपके लिये बहुत जरूरी बात है और आपको अपनी एक छवि बनानी पड़ेगी. जो जिसकी छवि होती है वह उससे भटकेगी नहीं. आप जहां अपने मूल स्वभाव से भटके लोग आपको छोड़ देंगे. जो अपने मूल स्वभाव से पहली बार जीतकर उसी के अनुरूप अपने क्षेत्र की जनता के साथ व्यवहार करते हैं उनको कठिनाई नहीं होती. जैसे वह थोड़ा सा बदले. जीतने के बाद जीतने के पहले.जीतने के पहले तो मैं सब कुछ पब्लिक के लिये करूंगा और जीतने के बाद मैं सब कुछ अपने लिये करूंगा जहां भटके. मैंने कहा कि आपको आपसे ज्यादा आपकी जनता देखती है. आप अपनी कमी को उतना नहीं देख सकते जितनी कमी को आपकी जनता आपको देखती है. इसलिये बहुत सावधानी चाहिये..मैं बच्चों के बीच जाता हूं और स्टूडेंट के बीच जाता हूं. छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. यहां भी मैं उस एग्जाम्पल को देता हूं. आजकल हम सबके हाथ में मोबाईल फोन है. बच्चों के बीच भी जाता हूं तो विशेष रूप से मैं इस बात को बताता हूं. उनको कहता हूं कि जहां कहीं खड़े

हुए हमने मोबाईल फोन निकाला और फोटो खींचने लगे और कभी-कभी आजकल के बच्चे मुंह बनाकर फोटो खींचते हैं.तो जब उन्होंने मुंह बनाकर फोटो खींची तो फिर फोटो इनलार्ज करके देखते हैं कि मुंह ठीक से नहीं बना तो इसको डिलीट मार दो. तो मैं उनके बीच में इस बात को जाकर कहता हूं कि आपने मोबाईल के ऊपर जब अपनी फोटो खींची थी. आपने गल्ती की थी. आपके पास उस आप्शन को डिलीट करने का बटन था लेकिन जिंदगी में आप गल्ती करोगे तो उसमें डिलीट करने का आप्शन नहीं है. बहुत सावधानी के साथ लाईफ में रहना चाहिये. एक बार आपने गल्ती की वह जिंदगी भर के लिये चिपकती है. क्षमा कीजिये, मैं चिपकती शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं.आज से 20 साल पहले आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया था. वह 20 साल बाद वह मिलकर याद दिलाता है कि आपने वह बात कही थी. जैसे मैंने कहा कि खराब बात अगर कोई गल्ती हो जाती है उसके लिये लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती वह अपने आप ट्रेवल करते हुए चली जाती है. अच्छी बात आपको सौ बार बताना पड़ता है तब विश्वास करते हैं कि यह काम आपने अच्छा किया. तो अच्छा काम करके वी हैव टू बी लाउड एंड क्लियर टू द पीपल ऑफ अवर कंस्टीट्यूएंसी, कि हमने यह अच्छा काम किया है. अच्छा काम करने के बाद बताना जरूरी है. बताना इसलिए जरूरी नहीं है कि मैंने आपके ऊपर एहसान किया है. बताना इसलिए है कि मैंने, जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी थी, मैंने उस कर्तव्य का पालन किया है. उसका भी श्रेय उन्हीं को देना है. आप जितने काम का श्रेय अपनी कंस्टीट्यूएंसी के लोगों को देंगे कि आपकी वजह से हुआ है, मैंने किया है, पर आपकी वजह से हुआ है, उतना ही अच्छा है. वहां पर उनको श्रेय देना है और काम का श्रेय खुद कैसे लेना है, उनकी वजह से हुआ है, लेकिन किया मैंने है. कभी-कभी हम लोग जिस समय होते हैं, हमारी कंस्टीट्यूएंसी में काम हो रहा होता है, पीडब्ल्यूडी से काम हो रहा है, नगर निगम से काम हो रहा है, पंचायत विभाग से काम हो रहा है या विभिन्न सरकारी एजेंसियों से काम हो रहा है, हमारी एक आदत बन गई है यह कहने की कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो पीडब्ल्यूडी विभाग करा रहा है या ये नगर निगम करा रहा है या वह करा रहा है. जिस दिन आपने यह कहना शुरू किया, उस दिन आप चुनाव हार गए कि आपने तो कुछ किया ही नहीं भाई. आपको

कहना है यह भी मैं लाया हूँ, यह काम भी मैं करवा रहा हूँ, वह काम भी मैं करवा रहा हूँ. विभाग थोड़ी काम करवाता है, जिसके प्रयत्न से काम होता है, वह विधायक होता है तो विधायक उसका श्रेय लेने में भी आगे होना चाहिए और वह श्रेय जो उसने लिया है, उसको जनता के बीच में बांटने के लिए भी आगे होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ही किया है. मैंने किया है, तुम्हारी वजह से किया है, तो दोनों का श्रेय हो गया ना.

कभी-कभी हम इस बात को भी कहते हैं कि मैं तो जीत गया. मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने आठ बार जिताया, मेरे से लोग पूछते हैं कि आप कितनी बार जीते हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि मेरी जनता ने मुझे आठ बार जिताया है, मैं नहीं जीता, जिताने वाला कौन, जनता. जीतने के बाद कभी-कभी हम बहुत बोलते हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया. जिस दिन हम जीतना शूरू कर देंगे, उस दिन कठिनाई होगी. जब तक जनता हमें जिताती रहेगी, तब तक हमें कठिनाई नहीं होगी. तो इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि हम जीते हैं, जनता हमें जिता रही है. एक बात और मैं यहां पर उपस्थित नेताओं को कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी हम जब जीतते हैं तो हम कहते हैं मैं जीत गया, उसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, उसके बाद भी मैं जीत गया. दुर्भाग्य से हम नहीं जीते तो कहते हैं कि उसकी वजह से हार गया. मैं इसको उल्टा कहता हूँ. अगर मैं जीतता हूँ तो उनकी वजह से जीतता हूँ और अगर मैं नहीं जीता तो अपनी वजह से नहीं जीता हूँ कि मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा काम, मेरा कनेक्ट, मेरा जनता के बीच संवाद ऐसा क्यों नहीं बचा कि लोगों ने मुझे दोबारा चुनाव नहीं जिताया. व्यक्ति जीतेगा तो अपनी वजह से जीतेगा, ऐसा नहीं है, व्यक्ति जीतेगा तो जनता की वजह से जीतेगा, अगर हारेगा तो अपने स्वभाव के कारण हारेगा. फिर अपने स्वभाव के कारण दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि व्यक्ति जीतेगा भी. हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छी तरीके के उससे बातचीत की, खुश हो जाएगा. जब आदमी आपके पास काम के लिए आ रहा है तो आपके लिए एक परसेप्शन लेकर आ रहा है. कभी-कभी आदमी सोचकर आता है कि यार विधायक जी के पास जा रहे हैं, काम तो होना नहीं है, लेकिन वह जब

आपके पास आया, आपने उसकी बात ध्यान से सुनी और आपने उसका काम करवा दिया तो जो उसके मन में आपके प्रति परसेप्शन था, वह चेंज हो गया, यार, मैं तो समझता था कि ये किसी का काम नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा काम कर दिया. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति आपके पास आया यह सोचकर कि ये मेरा काम जरूर कर देंगे, दुर्भाग्य से वह काम नहीं हो पाया, तो वह सोचेगा कि मैं तो समझता था कि बहुत अच्छे विधायक होंगे, लेकिन इन्होंने तो मेरा कोई काम कराया नहीं. इन दोनों बातों से बचने के लिए क्या करना है, इन दोनों बातों से बचने के लिए यह करना है कि हमने तुम्हारे काम करने की कोशिश ईमानदारी से की. मेरा सौभाग्य हुआ, जिस समय मैं अध्यक्ष चुना गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया. मुझे इस बात को कहने में गर्व की अनुभूति होती है क्योंकि वे जिससे भी मिलते हैं, उससे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं. वन साइडेड भाषण माननीय मोदी जी का नहीं होता है. वे पूछते हैं, आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद वे अपना मार्गदर्शन देते हैं. वह संवाद रहना चाहिए. लोगों ने मुझसे कहा कि आपको इस-इस तरीके से काम करना चाहिए, मैंने कहा कि जीतने का मतलब क्या है जो मैं यहां पर बोल चुका हूँ. मैंने कहा आई डोन्ट गारंटी टू द पीपल ऑफ माई कंस्टीट्यूएंसी कि मैं सबका काम करूंगा, सबका काम हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी कभी भी नहीं देता कि सबका काम कर दूंगा, लेकिन सबके काम करने के प्रयास करने की गारंटी जरूर देता हूँ, वह हमारे विधायकों को करना पड़ेगा. जिस समय उनके काम का प्रयास करने की गारंटी हम देंगे, तो हम निश्चित रूप से दोबारा चुनकर आएंगे. हम अपनी कंस्टीट्यूएंसी के अंतर्गत रहकर विधायक बन जाएंगे, लेकिन विधान सभा के उस मण्डप के ऊपर, जैसे आदरणीय तोमर जी ने कहा कि हमारी पहचान पूरे प्रदेश में हुई है. हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा तो बहुत बड़ी है, 403 सदस्यों की विधान सभा है, आपके 230 सदस्य हैं, वहां 403 सदस्य एक-दूसरे को पहचान नहीं पाते, पांच साल निकल जाते हैं. इसीलिए जो माननीय सदस्य नए आए हैं, उनको अगर अपनी

पहचान 230 सदस्यों के बीच में बनानी है तो उनको पढ़ना पड़ेगा और उनको वहां पर सदन में तर्कपूर्वक संवाद करना पड़ेगा. तर्कपूर्वक अपनी बात रखनी पड़ेगी. बिना तर्क के अपनी बात नहीं रखना है, फालतू बात वहां कोई सुनने वाला नहीं है. आप भाषण देकर चले गए, पता ही नहीं कि कहना क्या चाहते थे. भाषण देने वालों को भाषण सुनाना सबसे मुश्किल काम है. 230 लोग जो यहां पर चुनकर आए हैं, सब भाषण देकर आए हैं. उनको भाषण सुनाने की कला आप जिस दिन सीख लेंगे, उस दिन आप बड़े नेता बन जाएंगे. मैंने आदरणीय तोमर जी की अनुपस्थिति में इस बात को कहा था, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि फिर आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस स्पीकर की कुर्सी का नेतृत्व आदरणीय श्री तोमर जी जैसे व्यक्ति कर रहे हैं, उस सदन का सदस्य होना भी सौभाग्य की बात है. (तालियों की गड़गड़ाहट). यह आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है. मैंने आदरणीय तोमर जी से आज भी कहा, मैंने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, मैंने कहा कि सर, आपने उस कुर्सी के ऊपर बैठकर हमारा मान बढ़ा दिया है. जिस समय हम उत्तर प्रदेश जैसी जगह में बैठकर इस बात को कह सकते हैं कि श्रद्धेय तोमर जी ने उस कुर्सी के ऊपर बैठकर हमारी इज्जत बढ़ा दी, तो आप लोग तो डायरेक्ट बेनेफिशियरी हो, आप इनडायरेक्ट बेनेफिशियरी नहीं हो, तो यहां से आप सीख सकते हैं. मैंने कहा कि इनके सामने बिना रूल बुक पढ़े विधान सभा में आएंगे तो आप कुछ न कुछ खोएंगे. इसलिए आपको रूल बुक पढ़कर आना चाहिए. एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक शिक्षक अपने स्कूल में अपनी क्लास में किसी अच्छे बच्चे को, जो अच्छा पढ़ता है, अच्छा व्यवहार करता है, जो अनुशासन में रहता है, क्योंकि शिक्षक के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं. लेकिन उस शिक्षक का उस बच्चे के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है कि यह अच्छा बच्चा है, इसको प्रमोट करना चाहिए. तो नई विधान सभा में ऐसे सदस्य होंगे कि शिक्षक को अपनी तरफ आकर्षित कर देंगे कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, और इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यह आपकी कला के ऊपर

निर्भर करेगा. जिस समय आप इस बात को सीख लेंगे, तो निश्चित रूप से आप उत्कृष्ट विधायक भी बनेंगे, जनता के बीच से चुनकर जो आए हैं, जनता के बीच में बने रहेंगे.

मैं अभी आदरणीय विजयवर्गीय जी से कह रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति अलग होती है, शहरी क्षेत्र की राजनीति अलग होती है. मैं शहरी क्षेत्र से पांच बार विधायक था. लेकिन वर्ष 2012 में, हम सबको मालूम है कि परिसीमन हुआ और 20 प्रतिशत मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र जुड़ गया. ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं वोट मांगने के लिए गया तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते थे कि महाना जी क्या जीतेंगे जी, ये एरिया तो इनके पांचवें नंबर पर लड़ाई में भी नहीं है. वे कहते थे कि फलां पार्टी के, फलां जाति के नेता हैं, उनको वोट मिलेंगे और फलां जाति के फलां पार्टी के जो दूसरे नेता है, उनको वोट मिलेंगे, इनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं. मैं लगभग 43-44 हजार वोटों से शहरी क्षेत्र से जीता था, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर मैं 12 हजार वोट से पिछड़ गया, फिर भी मैं 32 हजार वोट से जीत गया. फिर मैंने उन पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा व्यवहार बनाया, ऐसा संबंध बनाया कि पांच साल बाद जाकर मैंने उनसे पांच बातें पूछीं, किसी भी गांव में मैंने पांच बार से ज्यादा भाषण नहीं दिया. मैं सबसे पहले उनसे पूछता था कि मेरे से पहले जो विधायक थे, उनसे डर लगता था आपको, तो उन्होंने कहा कि लगता था, मैंने कहा कि मेरे से डर लगता है तो उन्होंने कहा कि नहीं. मैं दूसरा प्रश्न पूछता था कि पहले विधायक के पास जाते थे तो वे पूछते थे किसने भेजा है, क्या मैंने कभी किसी से पूछा है कि किसने भेजा है, जो आए, सबका काम किया. उन्होंने कहा हां, ये बात सही है, आपने कभी नहीं पूछा. मैंने कहा कि पहले वाले विधायक जी कहते थे कि कौन सी जाति के हो, कौन सी बिरादरी के हो, क्या मैंने कभी जाति या बिरादरी पूछी, वैसे गुंजाइश ही नहीं है कि पूछने की क्योंकि मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, साढ़े चार लाख वोटों में से उस बिरादरी के हजार वोट भी नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं पूछा आपने. मैंने कहा कि पहले वाले विधायक जी पूछते थे कि वोट दिया है कि नहीं दिया है, मैंने क्या कभी यह पूछा है तो उन्होंने कहा

कि नहीं पूछा है. मैंने पूछा कि जितना काम मैंने पांच सालों में कराया है, क्या कभी पहले वाले विधायक ने कराया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कराया. मैंने कहा कि अगर ये पांच बातें सही हैं तो मुझे वोट दे देना तो वर्ष 2012 में जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं 12 हजार वोट पीछे था, वर्ष 2017 में उसी ग्रामीण क्षेत्र से 12 हजार वोट आगे था. वर्ष 2012 में 32 हजार वोटों से जीता था, वर्ष 2017 में मैं 92 हजार वोटों से जीता. केवल इसी कारण कि मैंने लोगों के साथ संवाद बनाने की कोशिश की. मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि You have to be very clear मैं एकदम साफ-सुथरा हूँ और आप जिस समय इस नाते जनता के बीच में सेवा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि विधायक बने रहोगे. आप कभी यह सोचकर काम मत कीजियेगा कि आगे चुनाव आने वाले हैं. आप चुनाव जीतने के लिए मत करियेगा. आप बोलेंगे कि ये तो प्रबोधन कार्यक्रम के लिए आए हैं. आप आगे चुनाव कैसे जीतेंगे ? यदि आप यह सोचते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि यह सबसे बेकार आदमी हैं. मैं अगला चुनाव जीतने के लिए कभी भी काम नहीं करता हूँ. मैं पिछले चुनाव में, जो जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया था, मैं उस विश्वास को पूरा करने के लिए काम करता हूँ. जहां से मैंने शुरु किया था, मैं वहीं पर खत्म करूँगा कि जिस जनता ने, जिस विश्वास के साथ आपको चुना है, अगर आप उस विश्वास को पूरा कर पायेंगे तो जनता अगला चुनाव आपको जिता देगी और सीट पर बैठा देगी. आप अगला चुनाव जीतने के लिए काम मत करना, आपने पिछले चुनाव में जो वादे किये थे, आप पर जो विश्वास जनता ने किया था, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करोगे तो हर बार चुनाव भी जीतोगे और विधान सभा में अच्छी परफॉरमेंस देकर प्रदेश के भी नेता बनोगे, देश के नेता भी बनोगे. आपको एक नई पहचान मिलेगी.

मैं आपको पुन: 5 वर्ष की इस नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ. आपका प्रदेश, आपका शहर एवं आपका निर्वाचन क्षेत्र प्रगति पथ पर आगे बढ़े. चूँकि यह हम सबकी जिम्मेदारी है. हम लोग जब विधान सभा के सदस्य होते हैं तो हम एक विधान सभा से तो चुनकर आते हैं, लेकिन

हमारे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी होती है. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अन्त में, आपको इस निवेदन के साथ उत्तरप्रदेश की उस बदलती हुई तस्वीर को, जिसमें कभी बीमारू राज्यों में मध्यप्रदेश भी होता था और बाकि स्टेट्स भी होते थे, इनको बीमारू राज्यों से बाहर निकालने का कार्य विगत 7-8 वर्षों में हुआ है. यहां उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन होते हैं, बाबा का दरबार है. हमारे उत्तरप्रदेश की एक नई तस्वीर प्रस्तुत हुई है. वहां काशी विश्वनाथ का दरबार है. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी दिनांक 22 जनवरी, 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या आ रहे हैं. जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि इसमें बहुत संघर्ष हुआ था. लेकिन राजनीति एक तरफ है, आस्था एक तरफ है, संस्कृति एक तरफ है, संस्कार एक तरफ है और देश का व्यवहार एक तरफ है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा होती है. दिनांक 22 जनवरी, 2024 को उत्साह एवं उमंग के साथ हम सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में मनाएंगे, उसके बाद में, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग हमारी विधान सभा देखने आइये, बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार देखने आइये. भगवान श्री राम जी की अयोध्या नगरी देखने आइये, वहां भगवान श्रीकृष्ण जी की जन्मभूमि देखने आइये. हमारा उत्तरप्रदेश आपके आतिथ्य के लिए उतावला रहेगा. मैं यहां पर आकर, उसके लिए निमंत्रण भी देना चाहता हूँ. एक बार पुन: माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाकर अपने सहयोगी मित्रों के साथ बातचीत करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ. आदरणीय श्री सत्य पाल सिंह जी भी आ गए हैं, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ. सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरी बात को सुना, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. यदि

अवसर मिला, तो हम फिर कभी मिलेंगे. उत्तरप्रदेश में पुन: आपके आमंत्रण के लिए निवेदन के साथ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द.

प्रमुख सचिव, विस - माननीय अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधान सभा का बहुत-बहुत आभार. यह बहुत ही व्यवहारिक और प्रेरणादायी उद्बोधन, जो उन्होंने माननीय सदस्यों के लिए यहां दिया और साथ ही साथ उनके आमंत्रण के लिए हृदय से आभार. अब इस कार्यक्रम में हालांकि आगे बढ़ना है, यदि कोई माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी से संक्षेप में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वह पूछ सकते हैं.

इंजीनियर श्री नरेन्द्र प्रजापति (मनगवां) - अभी विकसित संकल्प भारत-यात्रा चल रही है तो हम लोग वहां लोगों के बीच में जाते हैं. अभी मैं 8-10 दिन उनके बीच में रहा, तो वह बहुत सी समस्याएं बताते हैं, वहां तरह-तरह की बातें भी आती हैं. उसमें बिजली, ट्रांसफॉर्मर सारी चीजें जो अभी आपने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे प्रश्न आते हैं. जैसे विधायक जी का फोन नहीं उठता है, आपसे सम्पर्क नहीं हो पाता है. मैं उनके बीच में हूँ, उनके लिए हूँ, लेकिन फिर भी इस प्रकार की उलाहना होती है, तो ऐसी परिस्थितियों से हम लोग कैसे निपटें या बचें?

माननीय अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधान सभा - यह बहुत महत्पपूर्ण बात है. यह बात आपने बिल्कुल सही कही. देखिये, एक जमाने में जिस समय कहा जाता था कि टेलीफोन सुनने के लिए जब आप लैण्डलाईन के पास होते थे, तब कॉल सुनते थे, आपको जानकारी होती थी, आप कॉल बैक कर लेते थे. कॉल बैक भी तभी करते थे, जब उसके घर में भी टेलीफोन हो. अब सबके हाथ में मोबाईल हो गया है, फिर भी आप चाहकर भी अधिकतम फोन नहीं कर सकते, यह किसी विधायक के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से फोन करते हैं. जैसे एक बार रात्रि को 12.30 बजे फोन करके पूछते हैं कि विधायक जी आप सो रहे हैं क्या ? एक बार मुझे

किसी ने रात्रि में एक बजे फोन किया, तो मैंने उससे कहा कि क्या बात है ? तो उसने कहा कि भाईसाहब हम लोग खा-पी रहे थे, शर्त लगी थी कि आप फोन उठाएंगे कि नहीं. आपको इस तरह की चीजों से सावधान रहना होगा. आप अपने सहयोगी के पास फोन दे दें और उसको कहें कि वह नोट कर लें. जिन्होंने नमस्ते करनी है, बहुत दिन हो गए बात नहीं की है, तो उसके लिए वैसा कर लें. विधायक के लिए आजकल के जमाने में यह संभव नहीं है, लेकिन पब्लिक के इंट्रेस्ट के लिए कोई बात करता है, तो आपका सहयोगी उसको नोट कर ले, फिर अगर आप उसका फोन नहीं उठाने के बाद, उसको कॉल बैक करते हो, तो वह जितना विधायक जी के फोन उठाने से वह खुश नहीं होता, उसको कॉल बैक करने से वह ज्यादा खुश होगा. आप ऐसा मैकेनिज्म बना दीजिये ताकि आपकी बात वहां पर हो जाये. सबके लिए आप फोन उठा रहे हैं, तो फोन से कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. मैंने आपको बता दिया है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वह आपकी आलोचना तो करेंगे ही करेंगे.

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक - प्रबोधन कार्यक्रम के प्रथम सत्र उपरांत द्वितीय सत्र हेतु हमारे बीच श्री सत्य पाल सिंह, माननीय सांसद एवं सभापति, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति लोक सभा एवं उनके साथ ही हमारे बीच आदरणीय श्री प्रदीप चतुर्वेदी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्य सभा पधार चुके हैं. मैं प्रमुख सचिव महोदय, विधान सभा से निवेदन करती हूँ कि वह मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें.

(श्री सत्य पाल सिंह, माननीय सांसद एवं सभापति, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति लोक सभा एवं श्री प्रदीप चतुर्वेदी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्य सभा को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया.)

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक - कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मेरा आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से मंचासीन अतिथियों के औपचारिक परिचय हेतु निवेदन है.

प्रमुख सचिव, विस - माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस द्वितीय सत्र के प्रमुख वक्ता माननीय श्री सत्य पाल सिंह जी और मेरे साथी श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, जो राज्य सभा में संयुक्त सचिव रहे हैं. यह बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय सत्र है. माननीय अध्यक्ष महोदय जी के अनुरोध पर माननीय श्री सत्य पाल सिंह जी बहुत ही अल्प सूचना पर हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. वह हमारे सबके परिचित हैं. आप सांसद बनने के पूर्व शासकीय सेवा में थे और महाराष्ट्र में मुंबई जैसे महानगर में पुलिस कमिश्नर रहे थे, उन्होंने अपने दायित्वों का बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और वर्ष 2014 में सोलहवीं लोक सभा और वर्ष 2019 में सत्रहवीं लोक सभा के लिए आप सदस्य निर्वाचित हुए हैं. आप अनेक विभागीय परामर्शदात्री समितियों और संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं, साथ ही केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प का दायित्व भी आपने संभाला है. वर्तमान में, आप लाभ के पद पर गठित संसद की संयुक्त संसदीय समिति के सभापति हैं और हमारे अनुरोध पर यहां पधारे हैं. आपकें साथ ही सहयोगी के रूप में पूर्व संयुक्त सचिव, श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी पधारे हैं, वह भी बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, राज्य सभा में कार्य करने के साथ-साथ ओएसडी टू माननीय अध्यक्ष जी भी रहे हैं, माननीय मंत्री जी के भी ओएसडी रहे हैं. वह कई जगह फैकल्टी भी हैं और ट्रेनिंग के रूप में सतत् रूप से जाते रहते हैं. उनका बहुत लम्बा अनुभव रहा है. मैं दोनों महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ. मैं माननीय सत्य पाल सिंह जी को सादर अनुरोध करता हूँ कि वह हम सभी को अपना उद्बोधन दें.

(द्वितीय सत्र)

संसदीय प्रणाली में समितियों की भूमिका

श्री सत्य पाल सिंह, माननीय सांसद-- मध्यप्रदेश के इस विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जिनका हमें दिल्ली में भी मार्गदर्शन मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा और जिन्होंने बहुत ही

यशस्वी केन्द्रीय मंत्री कृषि मंत्री के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो काम किया मैं उनका उस काम के लिए अभिनन्दन भी करता हूं और मुझे यहां बुलाने के लिए, यह अवसर देने के लिए कि मैं यहां आप लोगों से कुछ बात कर सकूं मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. मेरे साथी जो आपसे बात करेंगे श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी हम लोगों ने इतनी बात आपस में नहीं की है कि मैं कितना बोलूंगा और वह कितना बोलेंगे जितना मैं बोलूंगा उसके बाद में वह शुरू करेंगे. मेरे सामने बैठे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण, बहनों और भाइयों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का विधायक बनने पर बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आजकल के जमाने में विधायक या सांसद बनना बहुत ही कठिन काम है यह कोई सरल काम नहीं है. जो लोग दूसरी बार या तीसरी बार विधायक बने होंगे जैसा कि महाना जी बता रहे थे यह और भी कठिन काम है. जब हम गवर्नमेंट सर्विस में थे हम लोग सोचते थे कि हिन्दुस्तान के अंदर सबसे कठिन काम अगर कोई है तो पुलिस का है और राजनीति में आने के बाद मुझको मालूम चला कि राजनीति से कठिन काम कोई भी नहीं है. हमारी बहन रीती पाठक भी बैठी हुई हैं वह लगभग दस वर्ष तक हमारे साथ रही हैं. हमारे कई सांसद हमारे साथ थे उन्हें नए रोल में देखकर, आदरणीय अध्यक्ष जी को भी नए रोल में देखकर प्रसन्नता भी होती है और मलाल भी आता है कि हम आप लोगों को निश्चित रूप से दिल्ली में याद करेंगे, लेकिन आपके अनुभव से, आपकी जानकारी से, आपके ज्ञान से निश्चित रूप से जैसा कि सतीश महाना जी कह रहे थे आप सब लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा. आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए. मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो आपका दो दिनों का वर्कशॉप है शायद आप एक साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, दो साल तक पढ़ाई करते रहते हैं तो भी इतनी बातें मालूम नहीं चलती हैं जितनी दो दिनों के अंदर मालूम चलेंगी इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन भी वक्ताओं को यहां बुलाया है उनको कृपा करके ध्यान से सुनिए आपके बहुत काम आएगा. मैंने भी यह बात अनुभव की है कि ऐसे वर्कशॉप में जितना सीखने को मिलता है इतना सालभर तक, दो साल तक, चार साल तक पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता है, लेकिन जिस कालखण्ड में आप लोग काम कर रहे हैं वह एक नया कालखण्ड है, एक नये भारत का निर्माण हो

रहा है. एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेव्हलप हो रहा है दुनिया के अंदर, एक ऐसा कालखण्ड जिसको संचार का युग बोलते हैं, नॉलेज बेस सोसायटी बोलते हैं, इस नॉलेज बेस सोसायटी में जहां सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि आप जो भी काम करोगे, जो भी बोलोगे वह आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगा. इसलिए सतीश महाना जी कह रहे थे कि यदि बीस साल पहले किसी ने कुछ किया होगा और बीस साल में आप जब चुनाव लड़ोगे तो सामने आ जाता है. यह सैकड़ों और हजारों वर्षों तक डिजिटल एप के अंदर सुरक्षित रहने वाला है. इसका अर्थ यह है कि हम जो भी बोलें जो भी करें बहुत सोच समझकर करना होगा, लेकिन मेरा आज का टॉपिक है कमेटी के बारे में यह एकदम सुस्त टॉपिक है, ड्राई सब्जेक्ट है. यह जो संसद है या विधान सभा है इनके मुख्य रूप से चार काम होते हैं. एक काम है कि हम लोग सांसद बने, विधायक बने कि हम लोग जो काम करते हैं कि हम देश का या प्रदेश का बजट पास करते हैं. हम लोग जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं उस कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, हम लोग कानून बनाते हैं नए-नए कानून बनाते हैं जो हमारे प्रदेश के हित में होते हैं उसके अंदर कानून बनाते हैं. संसद में यूनियन के हित में जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम लोग कानून बनाते हैं. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोग अपने-अपने क्षेत्र की जो बहुत ही विशेष मुद्दे हैं, विशेष समस्याएं हैं, या देश की समस्याएं हैं वह देश के और प्रदेश के सामने लाने की कोशिश करते हैं. सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम प्रदेश में विधान सभा के स्तर पर भी संसद के स्तर पर भी बहस करते हैं जो ट्रेजरी बैंच के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं सरकार कैसा भी कानून लाई हो उसको डिफेंस करते हैं और ज्यादातर जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वह कुछ न कुछ कमी निकालने का प्रयास करते हैं. कानून बनाना यह कोई सरल बात नहीं है. हम यह कहने लगें कि विधायक कानून बनाते हैं या सांसद कानून बनाते हैं यह सही नहीं है. कानून कौन बनाता है, कानून ब्यूरोक्रेट बनाते हैं. मंत्री से डिस्कस होता है, चर्चा होती है और लाकर के बिल पेश किया जाता है और फिर बिल पर चर्चा होती है. जो लोग अच्छा बोलते हैं और कई बार तो काफी सांसद ऐसे होंगे जिन्हें मैं जानता हूं जिनको पांच साल में एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिलता है. बोलने के लिए भी पार्टी तय करती है सवाल

आप उठाना चाहते हो सवाल लॉटरी तय करती है. मैंने एक बार बात की कि सारा का सारा काम क्या लॉटरी तय करेगी. कम से कम 50 प्रतिशत जो मुख्य मुद्दे हैं क्या हम उनको तय करते हैं जो मुख्य मुद्दे आएंगे 50 प्रतिशत लॉटरी से सवाल लेंगे. 50 प्रतिशत जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों को भी विधान सभा में और संसद में उठाने का हम काम करेंगे. इसके ऊपर भी विचार करने की जरुरत है. बहुत प्रश्न लगाते रहते हैं उनके सवाल लॉटरी में नहीं आ पाते हैं. मैं भी लगातार प्रश्न लगाता रहता हूँ लेकिन लॉटरी में नहीं आ पाते हैं. मुझे लगता है यहां पर विधान सभा में भी ऐसा ही सिस्टम होगा कि लॉटरी से प्रश्न निकाले जाएंगे. मैं कह रहा था कि कम लोगों को बोलने का मौका मिलता है. यह पार्टी तय करती है. आपको बोलने का मौका मिले या न मिले लेकिन जो भी कानून या बिल आता है उसको कृपा करके जरुर पढ़ा करें. यह आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा यह इनफार्मेशन एज है. यह ज्ञान आधारित समाज है इस ज्ञान आधारित समाज में जिसके पास नॉलेज है वही आगे बढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं. मैं आपको कह रहा था कि कुछ इतने कठिन विषय हैं कि हमारे पास संसद में या विधान सभा में उसके एक्सपर्ट नहीं हैं. बहुत कम राजनीतिज्ञ होंगे जो डॉक्टर होंगे जो कि चिकित्सा पर बोल सकते हैं या मेडिकल पर कोई बिल आएगा तो उस पर अपनी बात रख सकते हैं. कोई इंजीनियर होगा और उस विषय पर बिल आएगा तो वह उस पर अपनी बात रख सकते हैं. लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इन विषयों के एक्सपर्ट हैं. हम लोग ज्यादातर एक्सपर्ट नहीं हैं. हम लोग सामान्य लोग हैं, समय का अभाव है. हर एक विषय के लिए बिजनेस एडवायजरी कमेटी तय करेगी. हम कृषि के लिए 8 घंटे देंगे, बाढ़ आ रही है तो हम बाढ़ के लिए 4 घंटे देंगे, स्पोर्ट के बारे में हम 3 घंटे देंगे, मतलब टाइम नहीं है. समय का अभाव है और निपुणता का अभाव है. फिर संसद और विधान सभा का काम कैसे चलेगा. इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमसे पहले वाली पीढ़ी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा. संसद का और विधान सभा का काम करना है तो उसके लिए समितियां बनाना पड़ेंगी. इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कोर यह पार्लियामेंट्री कमेटी हैं. अच्छे बिल आते हैं, अच्छे कानून बनते हैं. पार्लियामेंट्री की या विधान सभा की जो कमेटी हैं उनको सौंप दिया जाता है कि इस पर आप डिसकस करें. वहां पर विशेषज्ञ को बुलाया जाता है उस पर चर्चा करते हैं. उनके पास समय का बंधन नहीं है वे लोग कितने भी समय बात कर सकते हैं. 10 घंटे बात कर सकते हैं, 4 महीने तक भी बात कर सकते हैं. संसद का या

विधान सभा का काम करने का श्रेय इन समितियों को जाता है. मैं कई समितियों में रहा हूँ. पहले भी दो समितियों का चेयरमेन रहा हूँ. अभी भी एक कमेटी का मैं चेयरमेन हूँ. पीएसी कमेटी का मैं सदस्य हूँ. होम कमेटी का सदस्य हूं. को-ऑपरेटिव समिति का सदस्य हूँ. संसद में जो भी समितियाँ बनी हैं उनमें जो सदस्य हैं वे उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या के हिसाब बनाए जाते हैं. मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अधिक हैं तो उसके सदस्य समितियों में ज्यादा होंगे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कम हैं तो समितियों में उनके सदस्य कम होंगे. लेकिन सबसे बड़ी खूबी इन समितियों की यह है कि वहां पर ज्यादातर काम एकमत से होता है. वहां एक दूसरे की कमी नहीं निकालते हैं, वहां पर पार्टी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं. एक दूसरे को गाली नहीं देते हैं. जो विषय होता है उस पर सब बोलते हैं क्योंकि वे देश के लिए कानून बना रहे हैं. यह समितियां देश को आगे रखकर काम करती हैं. इन समितियों में सदस्यों की बहुत अच्छी दोस्ती बनती है. यह समितियाँ कई प्रकार की होती हैं. कुछ परमानेंट कमेटियां हैं जिनको हम स्टेंडिंग कमेटी बोलते हैं, हर विभाग की अलग-अलग समितियां हैं. कुछ परमानेंट कमेटियां हैं जो पांच साल के लिए बन जाती हैं. एक कमेटी है जिसे लाभ संबंधी समिति कहते हैं. यह परमानेंट समिति है. मैं जब से सांसद बना हूँ तब से इसका सदस्य हूँ. कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति बहुत महत्वपूर्ण हैं. कुछ ज्वाइंट कमेटी होती हैं, ज्वाइंट कमेटी में दोनों हाउस के सदस्य होते हैं.

मेरा कहना यह है कि आज देश जिस कालखण्ड से गुजर रहा है, हम उसमें भागीदार बन रहे हैं. भागीदार कौन बनेगा. एक तो हम पार्टी का रोल अदा करते हैं एक हम देश के लिए रोल अदा कर रहे हैं. हमको सारी दुनिया देखने वाली है. हम संसद के अन्दर, विधान सभा के अन्दर, समितियों के अन्दर क्या बोलते हैं यह सारी दुनिया देखती है.

मुझे चाणक्य और चन्द्रगुप्त की एक कहानी याद आती है. जब चन्द्रगुप्त सम्राट बनने लगा तो चाणक्य ने उसके सिर पर मुकुट रखते हुए कहा कि चन्द्रगुप्त इस मुकुट का आधार तुम्हारा सिर नहीं है. जब चन्द्रगुप्त ने अचंभित होते हुए पूछा कि फिर इसका आधार क्या है. तब चाणक्य ने कहा कि इसका आधार वाणी है. उन्होंने कहा कि यदि वाणी अच्छी होगी तो आप दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हो और वाणी यदि खराब है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा. राजनीति में कोई भी परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं है. चाणक्य ने कहा कि जब भी बोलो तो इस बात का ध्यान रखना कि

वाणी का गले में दिया है गला दिल और दिमाग के बीच में आता है. आपकी बातों में दोनों होना चाहिए. उसमें ज्ञान होना चाहिए और भावना भी होना चाहिए.

यदि क्षेत्र में कोई हमसे आकर अपनी समस्या बताता है या शिकायत करता है तो हमें यह सोचना है कि इसकी जगह पर मैं भी हो सकता था या मेरे परिवार का कोई सदस्य हो सकता था. यदि वह मेरे परिवार का सदस्य होता तो मैं इस समस्या को कैसे दूर करता. यह बात यदि हम ध्यान रखेंगे तो शायद व्यक्ति गलती नहीं करेगा. चाहे आप समिति में या विधान सभा में बोलें इस बात का ध्यान रखना कि यह डिजीटल का जमाना है हर बात रिकार्ड होती है. सैंकड़ों साल तक यह रहने वाला है. हो सकता है आप मेरी किसी बात से सहमत न हों लेकिन जो देश के हित में है वह बोलना चाहिए. जैसे मैंने कहा था कि जिस कालखण्ड से हम गुजर रहे हैं इसमें हमें कुछ बातों के लिए पार्टी की राजनीति छोड़ देना चाहिए. हम आज देश के लिए काम कर रहे हैं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, दुनिया का सिरमौर देश बनाना चाहते हैं. एक ऐसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं जिसमें गंदगी खत्म हो जाए, जिसमें गरीबी खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाए, आतंक खत्म हो जाए. क्या ऐसा भारत बनाने में हम सब साथ में नहीं जुड़ेंगे क्या. एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां दासता के सारे चिह्न खत्म हो जाएं, गुलामी के सारे चिह्न खत्म हो जाएं. कौन चाहता है कि हम गुलाम बनकर रहें. क्या इसमें हम साथ में नहीं रहेंगे. प्रदेश को आगे बढाने के लिये यहां कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है. पार्टी पॉलिटिक्स विधान सभा के अंदर होगी. पार्टी पॉलिटिक्स होगी जब विधान के चुनाव होंगे, लेकिन अगर क्षेत्र का विकास करना होगा हम सब एक होंगे. इस भावना के साथ कमेटी में जो भी कानून की बात है, कोई भी बिल अगर आपके पास आता है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास आता है, किसी भी जगह आप स्टडी करने जाते हैं, हमेशा यह ध्यान रखना कि मेरा जो योगदान हो रहा है वह अच्छा हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कमेटी के अंदर भी मैं देखता हूं कि बहुत से लोग बडे इनएक्टिव होते हैं कुछ बोलते भी नहीं हैं. उनका बोलने का कोई योगदान नहीं होता. बोलते नहीं हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता इसलिये जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है हमेशा उसको पढना है. जितना ज्यादा पढेंगे मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार विधायक, सांसद बनने के बाद विधान सभा से बढकर या संसद से बढकर दूसरा कोई ऐसा स्कूल या पाठशाला नहीं है जो आपको

इतनासिखा सके. ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है. रोजाना जब विधान सभा शुरू होती है शाम तक बैठे रहते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग बात बोलते हैं और विशेष रूप से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी वक्ता उसमें बोलते हैं अपनी पार्टी का हो या विपक्ष का कोई भी हो ध्यान से सुनना चाहिये. विशेष रूप से मैं यह बात जरूर कहूंगा जैसा उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विधायक बोलेंगे, जो मंत्री बोलेंगे वह अपनी सरकार के हिसाब से बोलेंगे लेकिन विपक्ष का जो व्यक्ति बोलेगा वह बहुत स्टडी करके, बहुत अध्ययन करके बोलेगा. उसमें बडा ध्यान देने की जरूरत है कि वह क्या बोल रहा है. उससे सीखने के लिये बहुत कुछ मिलता है. ऐसे रोज सीखते जाना है, रोज सिखाते जाना है. मैं कमेटी पर तो बहुत लंबा बोल सकता हूं मुझे मालूम नहीं कितना समय है.

मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं. परमात्मा ने आपको एक बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हम लोग अपने प्रदेश की सेवा कर सकें और प्रदेश की सेवा करते करते हम देश की सेवा करेंगे तो हमारा प्रदेश भी तो इस देश का एक भाग है. इस देश का एक मध्य भाग है इसलिये इसको मध्यप्रदेश बोलते हैं. हम लोग महाकाल उज्जैन के अंदर बोलते हैं ना. उसमें यह था कि महाकाल बहुत बडा उस समय का निर्णायक दुनिया के अंदर जिसको आज इंग्लैण्ड के अंदर ग्रीनविच बोलते हैं जो लंदन में ग्रीनविच है कभी यह उज्जैन हुआ करता था. सारे दुनिया की टाइमिंग उज्जैन से चलती थी इसलिये इसको महाकाल की उपाधि दी गई थी क्योंकि इसको दुनिया का केन्द्र बिंदु माना गया था. हम लोग ऐसे हैं कि हमारा मध्यप्रदेश भी ऐसा बने, ऐसा केन्द्र बिंदु बने कि सारे देश के लोग देखें कि यह मध्यप्रदेश का विधायक है, यह मध्यप्रदेश का मिनिस्टर है, यह मध्यप्रदेश की विधान सभा के अंदर ऐसा बोला जा रहा है, यह उदाहरण हम सारे देश के लिये बनें ऐसा निश्चित रूप से हम अपना कार्यकाल एक विधायक के नाते या एक सांसद के नाते बना सकें ताकि आने वाले लोग उसको याद रख सकें. मैं पुन: आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि यह मौका आपने मुझे दिया है. आप सभी लोगों को पुन: बधाई देते हुये, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं. नमस्कार.

श्रीमती पूजा उदासी (उद्घोषक) -- इसके पश्चात् मैं मंच पर माननीय श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्यसभा को सादर आमंत्रित करती हूं.

अध्यक्ष महोदय -- बहुत धन्यवाद सत्य पाल जी. जो पुराने सदस्य हैं उनका तो अपना अनुभव होगा ही लेकिन मैं समझता हूं कि जो समितियों का विषय चल रहा है अभी प्रदीप जी उसको और स्पष्ट करेंगे. समिति की जो ताकत है वह सरकार को करेक्ट करने की ताकत है. मतलब सरकार बहुत एक्सरसाइज करके और सारे मंत्रालयों से और लॉ से वेट कराने के बाद हाऊस में कानून पुर: स्थापित करती है और हाऊस से वह संबंधित कमेटी को जाता है. कमेटी भी वह ताकत है कि उस बिल में जो अपूर्णता है उसको वह पूर्ण कर दे. संशोधन करना है संशोधन कर दे, नया एड करना है तो नया एड कर दे. कुल मिलाकर सरकार के किसी विषय को करेक्ट करने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वह संसदीय समिति के पास है. इस महत्व से हम सब लोगों को समिति की महत्ता समझना चाहिये और उस पर हमको आगे बढना चाहिये.

श्री प्रदीप चतुर्वेदी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्यसभा -- माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तोमर साहब, मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री सत्य पाल सिंह जी और हमारे जब मैंने नौकरी से शुरुआत की थी उस समय के सांसद सुरेश पचौरी साहब, बहुत सालों के बाद आज आपको मंच पर देखा है, माननीय विधायकगण और मेरे अभिन्न मित्र श्री ए.पी. सिंह साहब, डॉ. सत्यपाल सिंह साहब ने एक विधायक और सांसद के रूप से समिति का किस प्रकार से आपका योगदान रहेगा उसका एक स्वरूप दिखाया है. चूंकि मैं एक अधिकारी के रूप में यहां पर उपस्थित रहा हूं मैं आपको समिति की कार्यकारिणी और कार्यवाहियों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा. संसदीय समितियां जिनको विधायी समितियां भी बोल सकते हैं हर प्रदेश में और संसद में उपलब्ध हैं. इनको मुख्यत: हम चार वर्गों में बांट सकते हैं वित्तीय समिति, विभाग संबंधी समिति, स्थाई समिति और तदर्थ समिति और पांचवा वर्ग है प्रवर समिति. सुरेश पचौरी साहब चूंकि आज किसी और टॉपिक पर बोलेंगे, परंतु समिति के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है. प्रवर समिति हमेशा सदन में ही किसी विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिये बनाई जाती हैं. जो हमारी वित्तीय समिति हैं वह मुख्य रूप से तीन प्राक्कलन, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं. यह

तीनों समितियां संसद में लोक सभा के पास हैं क्योंकि लोक सभा के पास इसका दायित्व है. संविधान में दिया हुआ है चूंकि वहां के सदस्य सीधे चुने हुये आते हैं तो वित्त के मामले में वही लोग देखते हैं इसलिये लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और प्राक्कलन समिति वही देखते हैं. बाकी स्थाई समितियां जिनका वर्णन मैं आपकी नियमावली और नियम पुस्तिका भी देख रहा था, मध्यप्रदेश विधान सभा में अधिकांश वह समितियां हैं जो संसद में उपलब्ध हैं. एक समिति मिसिंग है वह है स्थाई विभाग संबंधी समिति. सन् 1993 के पहले संसद में भी वही समितियां थीं जो आपके पास हैं. सन् 1993 से पहले सन् 1990 के आसपास तीन विषयों के ऊपर फोरम बनाये गये थे कृषि संबंधी, पर्यावरण संबंधी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंचायत के ऊपर. इन तीनों फोरम के माध्यम से यह विचार विमर्श किया गया कि यह सरकारी विभाग किस प्रकार से कार्य करते हैं क्योंकि आपके पास संसद में प्रश्नों को उठाने का, उनके बारे में विचार विमर्श करने का समय कम है. यह संभव नहीं हो पाता कि हर विषय पर बात की जा सके तो इन फोरम के माध्यम से इन्होंने इस पर विचार किया परंतु उस समय के सभापति और माननीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि इनको क्यों ना एक प्रकार की समिति के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए. इसलिये वर्ष 1993 में पहली बार भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं उनके ऊपर समितियां बनाई गईं. शुरू में 17 थीं बाद में 24 समितियां बन गई हैं. जितने भी मंत्रालय हैं वह इन समितियों के पास आ गये हैं. उनके पास मुख्य रूप से चार काम दिये गये हैं कि जब बजट आता है तो बजट के लेखा खाका के बारे में चर्चा करना, क्योंकि संविधान में दिया हुआ है कि जब तक आप एप्रोप्रियेशन या बजट की डिमांड्स को ग्रांट्स नहीं करेंगे तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हर मंत्रालय की अनुदान के बारे में चर्चा करना संभव नहीं हो पा रहा था तो वहां पर समितियां बना दी गई थीं. उसके अलावा अगर कोई विधेयक उस पर डिपेंड करता है और अंत में जो वित्त मंत्रालय से संबंधित पॉलिसिस इश्यू हैं, जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिये इन समितियों का गठन किया गया था. पिछले 30 सालों का जो अनुभव हैं, यह समितियां और इनकी सिफारिशें हमेशा रिकमेंडेट्री होती हैं आप उनको प्रेशराईज़ नहीं कर सकते, परंतु इनकी सिफारिशें हमेशा सरकार मानती है और देखती भी हैं. इसके पीछे उन्होंने इसके पीछे मुख्य उन्होंने कहा कि आपका

जो बजट बनाता है, वह ब्यूरोक्रेट बनाता है. वह हाउस में आकर अपने आप ही अपने विचारों के बारे में डिफेंड नहीं कर सकता है. समिति में मंत्री नहीं आते हैं, समिति में अधिकारी आता है तो वह कहता है कि हमने इस मंत्रालय के बारे में इतना प्राक्कलन किया था और हमें यह बजट आवंटन हुआ है और इसमें यदि कमी है तो क्यों है ? इन समितियों के बारे में मेरा अपना जो संसद का अनुभव रहा है कि यहां पर कोई भी पक्ष या विपक्ष के हिसाब से नहीं बोलता, हर संसद सदस्य अपने विचार रखते हैं और कभी-कभी अधिकारी भी बताते हैं कि यदि हमने इनको नहीं किया तो हमारे लिये क्या नुकसानदेह हो सकता है.

अभी माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि समिति का जो कार्य होता है वह बेसिकली एक नॉन पार्टिशन एटीट्यूड से काम करते हैं. सभी सदस्य इसमें सहयोग देते हैं, चाहे वह सरकारी पक्ष के हों या विपक्ष के हों. कभी-कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिनमें उनको लगता है कि बहुत ही जटिल हैं, साईंस टेक्नॉलाजी वाले विषय, मैं, उस समिति का अधिकारी था तो स्वास्थ्य मंत्रालय से एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंसेस, साइंस टेक्नॉलाजी, तो वहां पर अधिकांश सदस्यों को उसमें समझ में नहीं आता था. एटॉमिक एनर्जी में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी है, वहां पर जब भी अधिकारी आया करते थे तो उनसे केवल टाटा मेमोरियल वाले प्रश्न पूछे जाते थे, उनको लगता था कि हम वहां पर सरकार की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं.

इन समितियों के लिये मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि ये समितियां विधान सभा मे, नियम पुस्तिका में मुझे दिखाई नहीं पड़ी हैं. इनमें विभाग संबंधित समितियों में तीन फोरम नियम पुस्तिका में दिखाई पड़े थे उनमें कृषि, और पंचायत राज पर है. अगर यह समितियां बन जाती हैं तो जैसा कि अभी अध्यक्ष साहब ने भी बोला था कि आप सरकारी कार्यक्रमों में और सुधार कर सकते हैं. एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जो जीएसटी बिल आया है, यह एक समिति की सिफारिश से ही आया है. एक समिति ने बहुत सालों पहले एक सिफारिश की थी फिर सरकार ने उसकी विवेचना की और फिर बाद में उस बिल को लेकर आये हैं. अभी मदरसा कानून पास हुआ है वह बिल समिति के पास आया था और जब हम लोग उसकी विवेचना कर रहे

थे तो हमारे सभापति जी को थोड़ी सी शंका था की,बाकि सदस्य शायद इसको न माने तो समिति की जब सिफारिशें होती हैं तो हमें वहां कहा जाता है कि हम रिकमण्डेशन पर ध्यान दें. रिकमण्डेशन्स इतनी जरूरी नहीं होती है, अगर आपने नेरेटिव पार्ट में अपना योगदान दे दिया था. एक सदस्य ने कहा था कि आप हमारा पार्ट नेरेटिव पार्ट में लिख दीजिये, रिकमण्डेशन से मुझे मतलब नहीं है. वह जब पब्लिक पढ़ेगी कि हमारे सदस्यों ने इसके बारे में वहां पर क्या बोला था. अंत में रिकमण्डेशन यह थी कि सरकार इसकी पुन: विवेचना करें और उसके पश्चात् सरकार 108 संशोधन उस बिल के ऊपर लेकर आयी, तब जाकर वह बिल पास हुआ. उस बिल को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अक्सर जो बिधायी या ड्राफ्टिंग की कमियां होती हैं, वह विधायी पर जाती हैं. एक ड्राफ्टिंग कमी यह थी कि जैसे हम लोगों का कॉमन सिस्टम है, यहां पर हमारे पास कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये निर्णय कानून के रूप में माने जाते हैं. अगर हम कानून बना देते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय कानून में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर वह कानून माना जायेगा. मदरसा कानून में एक क्लॉज़ गलती से ड्राफ्टिंग में आ गया था कि मदरसा कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने नियम खुद बनायेंगे. जब इस बारे में पाइंट आउट किया गया कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो वहां पर उस क्लॉज़ को ड्राप करना पड़ा. यदि आप लोग सचेत रहेंगे और यदि आप बिल को पढ़ते हैं तो आपको उन चीजों से ज्यादा जानकारी मिल जाती है. समिति के ऊपर वर्कशॉप और विचार-विमर्श होते रहते हैं, पर माननीय सदस्यों का जो मेरा अपना अनुभव है कि आप लोगों की शिकायत सबकी होती है कि जब मुझे संसद में या सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है. यदि आप समिति की बैठक में रेग्यूलर रहेंगे, तो वहां पर आपको बोलने का मौका बहुत मिलेगा. क्योंकि अगर आप वहां पर पढ़ कर आयेंगे तो आप बोल भी सकते हैं और अक्सर इनकी मीटिंग्स में और अधिकारियों से आपको जानकारी मिल सकती है. अधिकारी भी चाहते हैं कि आप अपने विचार उनको बतायें ताकि वह वहां पर परिवर्तन कर सकें. बाकि जितनी समितियां यहां पर काम कर रही हैं तो उनका बैसिक परपस यही है. माननीय अध्यक्ष जी को मेरा

जो प्रेजेंटेशन था उसकी एक कॉपी दे दूंगा. वह आप लोगों को सर्क्युलेट कर देंगे, वह आप लोगों के कुछ काम आ जायेगा.

सबसे बड़ा जो समितियों का फायदा यह है कि आपका योगदान भले ही दिखाई नहीं पड़े, पर सरकारी तंत्र में इसकी बहुत इज्जत होती है और अपेक्षा की जाती है. आपके कहे हुए वाद सरकारी अधिकारी अमल में लेकर आते हैं. क्योंकि आप वह चीजें अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं और अंत में आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि चाहे वह ब्यूरोक्रेट्स हों या हम हों. हम लोगों की पढ़ाई भी एक लिमिटेड सब्जेक्ट के ऊपर ही है और हम अनुभव सबका ले लेते हैं, वहां पर. आपके अपने जो अनुभव हैं उनसे अगर आप लोगों को परिचय करवा देंगे तो शायद वह अधिकारी जो काम को देख रहा है, यदि वह गलतियां नहीं देख पाये तो आप देख सकते हैं.

इसलिये समितियों में आपका कार्यकाल, समितियों में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं. स्थायी समितियां अक्सर वह काम कर पाती हैं जो शायद नहीं हो पाते हैं. पर विभाग संबंधी समस्या सरकारी कार्य में काम करने के लिये बहुत सुदृढ़ हो सकती हैं और अंत में उत्पल सिंह साहब से भी अनुरोध करूंगा बाद में कि सिलेक्ट समितियां बहुत कम बनती हैं. जब श्री पचौरी साहब थे, तब पांच सालों में बहुत प्रवर समितियां बनी थीं. हर एक बिल के ऊपर वहां पर प्रवर समितियां बनी थीं और प्रवर समितियां महत्वपूर्ण इसलिये बन जाती हैं कि इसके सदस्य सदन चुनता है. माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति नाम सजेस्ट नहीं करते हैं और इनके द्वारा जितने भी बिल में संशोधन हैं, वह फायनल माने जाते हैं और वही बिल संशोधित होकर दोबारा सदन के पास, पास होने के लिये आता है. तो प्रवर समितियों की पॉवर्स ज्यादा हैं. पर इनका कभी-कभी इस्तेमाल भी संयुक्त रूप से करना चाहिये. अक्सर वहां पर बिल में कमजोरियां आ जाती हैं. वह यदि हम अवाइड कर सकें तो ज्यादा बेहतर रहेगा.

आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन और आप लोगों को शुभकामनाएं. मैं अपना सौभाग्य मानता हूं माननीय अध्यक्ष विधान सभा का कि मुझे यहां पर बुलाया. धन्यवाद.

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक:- संसदीय प्रणाली में समितियों पर भूमिका इस विषय पर आधारित हमारा यह द्धतीय सत्र अब समापन की ओर है. मैं माननीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान

सभा से निवेदन करती हूं कि वह सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. सत्यपाल सिंह जी शाल एवं स्मृति चिह्न से सम्मान करें. प्रमुख सचिव, विधान सभा इस सत्र के मुख्य अतिथि जी का सम्मान करेंगे.

(माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा डॉ. सत्यपाल सिंह जी का शाल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत किया तथा इस सत्र के मुख्य अतिथि जी का प्रमुख सचिव, विधान सभा जी का शाल एवं स्मृति चिह्न से स्वागत किया गया.)

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक:- इसके पश्चात् दूसरे वक्ता आदरणीय श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी के सम्मान हेतु मैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूं.

(प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी का शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया.)

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक:- तृतीय सत्र के मुख्य वक्ता माननीय श्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व सांसद, राज्य सभा हमारे बीच उपस्थित हैं. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, विधान सभा उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे.

(माननीय श्री सुरेश पचौरी जी का प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

अध्यक्ष महोदय - इस सत्र के बाद कार्यक्रम के अनुसार चाय का अंतराल है. माननीय श्री सुरेश पचौरी जी हम सब के बीच में आ गये हैं. अगर सदन की इच्छा हो तो 15 मिनट का एक सत्र कंटीन्यू कर दें, उसके बाद एक साथ चाय पीएं. मैं समझता हूं कि श्री सुरेश पचौरी जी, मध्यप्रदेश के लिए परिचय के मोहताज नहीं हैं. एक लम्बे कालखंड से वह सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं. पढ़ने लिखने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती रही है. कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने अनेक पदों को निर्वहन किया है और केन्द्र सरकार में विशेष रूप से संसदीय कार्य राज्यमंत्री के रूप में उनके एक कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी. जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो हमें लगा कि दिल्ली से भी लोगों को बुलाया जाय, लेकिन मध्यप्रदेश में भी कुछ लोग मार्गदर्शन करने के योग्य हैं उनका चयन भी करना जरूरी है. जब विचार करते समय बातचीत आई तो माननीय श्री सुरेश पचौरी जी का नाम सहसा सभी लोगों की जुबान पर आया, वे हम सबके मध्य पधार गये हैं, उनका विषय,

स्थगन, ध्यानाकर्षण, अविलंब लोक महत्व की सूचनाएं - महत्व और उनका उपयोग, ऐसा है. मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर श्री सुरेश पचौरी जी को आमंत्रित करें.

तृतीय सत्र

संसदीय प्रक्रियाएं यथा : स्थगन, ध्यानाकर्षण, अविलंब लोक महत्व की सूचनाएं - महत्व तथा उनका उपयोग

(वक्ता - श्री सुरेश पचौरी, माननीय पूर्व सांसद, राज्यसभा)

श्री सुरेश पचौरी, माननीय पूर्व सांसद, राज्यसभा - परम आदरणीय, विधान सभा अध्यक्ष महोदय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री ए.पी. सिंह जी, श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हमारे समय में भी राज्यसभा को सुशोभित किया है. आदरणीय श्री ए.पी. सिंह जी, सम्मानीत विधायकगण और आदरणीय अधिकारीगण.

आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आए हैं. आपके मन में यह बात आ रही होगी कि आपकी भूमिका क्या रहेगी, आपके मन में यह विचार आ रहे होंगे कि आपका उत्तरदायित्व क्या रहेगा, जब बात भूमिका की है तो निश्चित रूप से यह बात आती है कि विधायक के रूप में हमारे क्षेत्रवासियों के प्रति हमारी क्या भूमिका है, विधायक के रूप में प्रदेश के प्रति हमारी क्या भूमिका रहेगी . एक सजग और प्रभावी विधायक के रूप में हम किस ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे. अलग अलग विषय स्पीकर साहब ने तय किये हैं. मुझे विषय दिया है - स्थगन, ध्यानाकर्षण, अविलंब लोक महत्व की सूचनाएं. इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आफ मध्यप्रदेश असेम्बली कि जो पुस्तिका है, उसका अध्ययन करें. हालांकि मेरे सामने यह दुविधा रही जब सचिवालय से

निर्देश हुआ कि मुझे इस विषय पर बोलना है और बाद में स्पीकर साहब का भी फोन आया तो हम लोगों के सामने जो रूल पोजिशन है, वह रूल पोजिशन पार्लियामेंट के हिसाब से रहती है

कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट में कॉल एंड शकधर में किस रूप के अंतर्गत हमें किस-किस इश्यु को उठाना है. चाहे वह कॉल अटेंशन हो, चाहे वह शार्ट ड्युरिंग डिस्कशन हो, चाहे वह जीरो अवर सबमिशन का मामला हो, चाहे वह एडजॉर्नमेंट मोशन की बात हो, चाहे हाफ एन अवर डिस्कशन हो तो कॉल एंड शकधर की रूल पोजिशन अलग है. थोड़ा सा, विधि तो करीब करीब वही है, प्रक्रिया वही है लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आफ मध्यप्रदेश असेम्बली के रूल अलग-अलग हो जाते हैं तो इसके लिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप उस पुस्तिका का सही अध्ययन करें. इसके साथ साथ जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से संबंधित अध्ययन की बात आती है तो मुझे प्रसन्नता है कि स्पीकर साहब ने यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया है. इस प्रबोधन कार्यक्रम से आप निःसंदेह बहुत लाभान्वित होंगे, किस मायने में? कि किसी भी इश्यु को एक प्रक्रिया के अंतर्गत किस ढंग से उठाया जाय. दूसरा, वह इफेक्टिव कितना हो और तीसरा, जिस मंशा से वह उठाया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सकारात्मक ढंग से कैसे हो. मेरा एक जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस रहा है 1984 आनवर्ड, स्पीकर साहब भी जानते हैं चतुर्वेदी जी तो है ही. मुझे 24 साल लगातार पार्लियामेंट में रहने का अवसर मिला. उस समय में जो प्रिसाइडिंग आफिसर रहते थे, राज्यसभा में सभापति वह वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे. जस्टिस हिदायतउल्ला के बाद श्री वेंकटरमन जी, श्री के.आर. नारायणन जी, डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, यह सब रहे. उस विषय पर में मैं बाद में आऊंगा, जो मूल मंत्र हमें दिया गया. हमने अपने सीनियर पार्लियामेंटेरियन से पूछा कि हम किस ढंग से अपनी प्रिजेंस साबित कर पाएं कि हमसे जो उम्मीद की गई है, हमारे प्रदेश के लोगों की, क्षेत्र के लोगों की, उन कसौटियों पर हम खरे उतर पाएं तो मूल मंत्र यही था कि पर्याप्त होम वर्क के साथ में पार्लियामेंट में जाओ. जिस विषय पर आप बोल रहे हो, उसका पर्याप्त रिफरेंस हो, जिस मुद्दे को उठा रहे हो, रूल पोजिशन है तो आपको उसकी परमिशन मिलेगी. जैसे बहुत बुद्धिमत्ता के साथ स्पीकर साहब ने आपसे परमिशन ले ली. चाय का समय था उन्होंने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो 15-20 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय. आपकी अनुमति हो गई तो सिम्प्ली लोग पूछते हैं कि हमको अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले, क्या करें. यद्यपि श्री तोमर साहब बैठे हैं मैं बहुत सूक्ष्म रूप से पॉलिटिशयन के कंडक्ट को आब्जर्व करता हूं. केन्द्रीय मंत्री के रूप में मैंने देखा है कि शालीनता से व्यावहारिकता से आपका मर्यादित आचरण रहा है और आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्पीकर मिले हैं. अब ज्यादा बोलने की परमिशन चाहिए.

परम आदरणीय स्पीकर साहब, आप सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान सर्वशक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं. हम इस रूल के तहत यह मामला उठाने की, आपसे कृपापूर्वक अनुमति चाहते हैं, अनुमति मिल जाएगी. थोड़ा समय हो गया, घंटी बजी तो स्पीकर साहब, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं तो वह सोचेंगे यह बोल रहा है कि गौर से सुन रहे हैं थोड़ा सा और समय दें. यह अलग-अलग विधियां हैं. मैं ज्यादा नहीं बोलकर जाऊंगा, वरना वे सोचेंगे कि मैं अंदर की बात बताकर जा रहा हूँ कि कैसे समय ज्यादा दें. लेकिन अपना मर्यादित आचरण हो, भाषा शैली जो हो, वह बहुत संतुलित हो, कोई जरूरी नहीं कि कोई चीख-पुकार के साथ आप जो बात कहें, वही सुनी जाएगी. एक मर्यादित भाषा में आप जो बात रूल पोज़ीशन के साथ कहेंगे तो वह बात भी सुनी जाती है. माननीय सोमनाथ चटर्जी जब पिछले समय आए थे तो उन्होंने एक कोटेशन बोलकर गए थे Those who knows the rules of the games, may play the game आप जो रूल पोज़ीशन जानेंगे, तो रूल पोज़ीशन का हवाला देते हुए आपको अनुमति अपने विषय को उठाने की मिल जाएगी. मैं अब अपने विषय स्थगन पर आ रहा हूँ. आपके यहां रूल 53 में यह प्रोवीज़न है कि आप स्थगन प्रस्ताव दे सकते हैं हमारे यहां पॉर्लियामेंट में दूसरा प्रोवीज़न है. यह सरकार के खिलाफ होता है यह एक मंत्री के खिलाफ नहीं होता. और लिस्टेड बिजनेस से हटकर होता है. यद्यपि बहुत कम ऐसी बात आती है जैसे वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश एसेम्बली में आयी थी, तो गवर्नमेंट फेल्योर की जब पोजीशन हो, उस समय रूल 53 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है. बात ध्यानाकर्षण की है जिसको हम सामान्य भाषा में, प्रचलित भाषा में कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं. कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिये हमारे यहां पॉर्लियामेंट में कॉल एंड शकधर में रूल 137 है और यहां रूल 138 है. रूल 138 में जो परमीशन मिलेगी, उस पर डिस्कशन डेढ़ घंटे का होगा और रूल 142 (K) के अंतर्गत 45 मिनट की परमीशन का यहां प्रोवीजन है, तो यह जो अर्जेंट पब्लिक इंर्पोटेंस वाले विषय हैं उनको हम इस रूल के तहत कर सकते हैं. मैं वापस कॉल अटेंशन पर आता हूँ. कॉल अटेंशन का प्रोसीज़र यह है कि आप एक नोटिस दीजिए और सरकार का ध्यान आकर्षित कीजिए. मंत्री जी अपना स्टेटमेंट देंगे. स्टेटमेंट देने के बाद जिसके नाम से बिजनेस लिस्टेट है, सामान्य तौर

पर 2 या 3 मेंबर रहते हैं तो उनको बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय परमीशन देंगे. कई बार यह भी होता है कि जो मूल कॉल अटेंशन देने वाला सदस्य है वह नहीं आता, तो फिर वह अध्यक्ष का क्राइटेरिया रहता है कि वह जो नंबर 2, नंबर 3 लिस्टेट है उनको बोलने का अवसर देते हैं वे सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं. मंत्री अपना स्टेटमेंट रूल 138 के तहत देते हैं और फिर उस पर कुछ अगर आपकी शंका है तो जिस मेंबर का नाम उसमें रहता है, वह प्रश्न कर सकता है. अब बात आती है कि कितने मेंबर हो सकते हैं तो उसमें 2, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते. हमारे यहां भी पॉर्लियामेंट में प्रोवीजन था. यहां भी यही है तो यह एक समानता है. समानता यहां नहीं है स्पेशल मेंशन में. स्पेशल मेंशन का प्रोवीजन पॉर्लियामेंट में है कि स्पेशल मेंशन के लिए परमीशन लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयर से मिलती है, लेकिन यहां नहीं है. जीरो ऑवर का नहीं है. लेकिन विशेष परिस्थितियों में कोई ऐसी घटना घटी है जो लोगों को व्यथित, उद्वेलित करने वाली है लोगों से संबंधित है तो वह जैसे एडजोर्नमेंट के बाद भी मामला उठा था. भोपाल में जब गैस ट्रेजेडी हुई, तो यह परमीशन स्पीकर साहब दे सकते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो रूल पोजीशन है उसमें जो आपके पास उपलब्ध डिवाइस हैं उन डिवाइस का आप उपयोग करिए, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए आपको चेयर को कान्फिडेंस में लेना होता है. आप तीन प्रतियों में अपना नोटिस देते हैं. एक संबंधित मंत्री को जाता है एक संबंधित सेक्रेटरी को जाता है और एक चेयर को जाता है तो मैं जो हर बात जोर देकर कहता हूँ कि आपको स्पीकर को कान्फिडेंस में रखना चाहिए, उससे आप बेस्ट पॉर्लियामेंटेरियन बनेंगे. वह विषय चूंकि यहां सुबह उत्तरप्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा है, उसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन बेस्ट पॉर्लियामेंटेरियन व्यक्ति वह कहलाता है जो रूल्स एंड प्रोसीजर एंड प्रेसीडेंट को जानता है. कब क्या घटना घटी, तो जो स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीकर है दूसरी पुस्तिका वह है कि स्पीकर ने समय-समय पर क्या डायरेक्शंस दिए, क्या ऑर्डर दिए, तो आप फिर हाथ उठाकर स्पीकर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय, इस तारीख को इस-इस विषय पर यह-यह व्यवस्था आपने अध्यक्ष के नाते इसी आसंदी से मिली है और आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप सुशोभित कर रहे हैं तो हमें

आज्ञा दी जाए. आज्ञा मिल जाएगी, तो ऐसे विषय से भी आपको समय-समय पर परमीशन मिल जाएगी लेकिन उसके लिए प्रॉपर होमवर्क हो. सुबह न्यूज पेपर देखिए. अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है. उसका उपयोग करिए. इंटरनेट से आप डिटेल्स निकालिए. हमारे जमाने में तो हम लोग अगर कोई घटना झाबुआ में हुई है, तो सुबह झाबुआ फोन लगाकर कहते थे. उस समय नई दुनिया, नवभारत न्यूज पेपर चलता था. भास्कर में आया है क्या आया है, तो वह फैक्स से भेजते थे. फिर हम सुबह साढ़े नौ बजे नोटिस ऑफिस में देते थे. यहां नौ बजे तक का प्रोवीजन है. आप सुबह जरा जल्द उठकर नोटिस दे दीजिए, वरना सेक्रेटरी साहब कहेंगे कि आप लेट हो गए तो रूल पोजीशन का उसमें आप जरूर उपयोग करिए और इसके लिए आप नियमित अपना एसेम्बली अटेंड करिए. मैंने क्यों शुरूआत की थी कि मेरा 24 साल का पॉर्लियामेंटरी एक्सपीरिएंस यह है कि उस समय अलग-अलग प्रधानमंत्री रहे. जो मैंने स्थगन प्रस्ताव की बात की. 5 बार सरकारें ऐसी आयीं, जो वोट ऑफ नो कान्फिडेंस से गईं. चाहे वह मोरार जी देसाई जी की सरकार हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की सरकार हो, चाहे एच.डी.देवेगौड़ा जी सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो लेकिन अलग-अलग समय पर जो प्रधानमंत्री बने हैं. पॉर्लियामेंट में एक्टिव रहने की वजह से यह हुआ कि हमने जो पत्र जिस मंत्री को जब भी लिखा, उस पत्र पर त्वरित, वांछित कार्यवाही हुई, जो मैं चाह रहा था. आप अगर इफेक्टिव और एक्टिव पॉर्लियामेंटेरियन हैं, विधायक हैं आप मंत्री न भी बनें हों, तो छोड़िए, असली पॉवरफुल हो. जब आप हाउस में अपनी प्रजेंस दिखाते हो, तो मंत्रियों को लगेगा कि इनका पत्र आया है, इस पत्र का हमें जवाब देना है. प्रश्न का जवाब अगर गलत है तो वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आ जाएगा. वह आप नोटिस दे दीजिए कि यह सूचना गलत दी गई है यह प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है इसलिए इसको सुधार किया जाए, तो आपको मंत्री देखेगा. मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह डरेगा. वह आपसे प्रभावित होगा कि इनको किसी भी प्रकार की शिकायत की गुंजाईश न हो, तो असली होमवर्क के लिए आपके यहां लाइब्रेरी बनी है, उसका उपयोग करिए.

रिफरेंस सेक्शन का उल्लेख करिए. विधानसभा सचिवालय का जो स्टॉफ है उनका उपयोग करिए. जो सीनियर एमएलए हैं उनके अनुभवों का उपयोग करिए. पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर से संबंधित जो किताबें हैं. चाहे कॉल एण्ड शकधर हो, चाहे सुभाष कश्यप की हो, चाहे पी.जी.टी. आचार्य की हो, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री बड़ी ही इम्पार्टेंट बुक है लें. इसका बहुत ही एडवांस स्टेज में उसका उपयोग पार्लियामेन्ट में किया जाता था. तो उस सबका आप उपयोग करें, इस प्रकार का आपसे मुझे अनुनय-विनय करना था. मेरा विषय बहुत लंबा नहीं है केवल यह तीन-चार रूल्स से संबंधित था. थोड़ा सा समय मैंने ले लिया जैसे आपको मंत्र दे रहा था कि स्पीकर साहब जरूरी यह है कि आप प्रबोधन कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं तो इसके पीछे जो आपकी भावना छुपी है, वह यह है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं चाहे वह यूपी में जाएं, चाहें महाराष्ट्र में जाएं, जहां पर भी जाएं अपनी एक छाप छोड़ें, उसके लिये उनको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाये. इनकी कोचिंग की जाए और भाषण की बात है तो भाषण देने वाले यहां पर अच्छे बैठे हैं. माननीय विश्वास भाई भी दिख रहे हैं, माननीय कृष्णा जी भी दिख रही हैं. भाषण की शैली में थोड़ा सा रस आये उसके लिये जरूरी है कि कभी कभी शेरो-शायरी का उपयोग कर लीजिये, कभी मुस्तक का उपयोग कर लीजिये, कभी मुहावरों का उपयोग कर लीजिये, कभी प्रसंग बताइये कि महाभारत में यह हुआ था, रामायण में यह हुआ था. आपको माननीय अध्यक्ष महोदय अपने आप परमीशन देंगे कि यह सही प्रसंग का जिक्र कर रहे हैं इनको अवसर दिया जाये. तो रूल पोजीशन, सही होमवर्क, पर्याप्त स्टडी, शिष्टाचार, भाषा शैली मर्यादित और सबके साथ व्यवहार एक संसदीय परम्परा वाला यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि पार्लियामेंट में अपने अपने मुद्दे अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग उठाते हैं. मुद्दे उठाने के बाद सेन्ट्रल हॉल में जाते थे, वहां सब मिलकर के कॉफी पीते थे. मैं वही अवधेश जी से पूछ रहा था कि यहां सेन्ट्रल हॉल ऐसा है कि नहीं तो स्पीकर साहब वैसी ही व्यवस्था यहां पर भी करेंगे. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम अपनी राजनीति अपने हिसाब से करें, चुनाव के समय हमारे अलग अलग प्लेटफार्म हों, लेकिन राजनीति में प्रतिद्वंदता होती है. शत्रुता नहीं होती है, काम्पीटिशन होता है, शत्रुता नहीं होती है. यह पहले जमाने में होता था कि अलग अलग राजनीतिक दल के लोग उनके यहां पर जब सुख-दुःख का अवसर होता था तो प्रधानमंत्री जी तथा केन्द्रीय मंत्री भी उनके यहां पर जाते थे और सांसद भी उनके यहां पर जाते थे और सौभाग्य है कि अभी मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था, यह व्यवहार, यह शालीनता, यह

व्यवहारिकता अभी बनी हुई है और जहां तक इस विधान सभा का प्रश्न है. तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा माननीय अध्यक्ष आपको मिला है जो शालीन है, व्यवहारिक है और नियमों के मुताबिक काम करने में यकीन रखता है. तो निश्चित रूप से यह प्रबोधन कार्यक्रम के जरिये जो आपको बताया जायेगा उस प्रबोधन कार्यक्रम का भी आपको लाभ मिलेगा और विधान सभा में पार्टिसिपेशन आपका इफेक्टिव होगा ऐसी मैं कामना करता हूं. नववर्ष आपको मंगलमय हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जिस उत्तरदायित्व के परिपालन में आप यहां पर आये हुए हैं संविधान के दायरे में निश्चित रूप से काम करेंगे. मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं. मैं फिर से विधान सभा सचिवालय और माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने मुझे आपके दर्शन करने का और आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया मैं उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती पूजा उदासी, (उद्घोषक)--बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पचौरी जी. तृतीय सत्र के मुख्य विषय संसदीय प्रक्रियाएं, स्थगन, ध्यानाकर्षण, अविलंबनीय लोक महत्व की सूचनाएं इस विषय की प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु अब मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी.सिंह जी से सादर अनुरोध करती हूं.

अध्यक्ष महोदय--दो सत्र एक साथ हो गये हैं. धैर्य की परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिये. मैंने इंतजार की घड़ियां समाप्त कराने का अनुरोध किया प्रमुख सचिव जी को वह मान गये हैं. अब इसके बाद चाय की व्यवस्था है. साढ़े छः बजे इसी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साढ़े सात बजे सबका भोजन है. आज माननीय पचौरी जी, माननीय चतुर्वेदी जी हमारे बीच दिल्ली से पधारे मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. आप सबको शाम के दोनों कार्यक्रमों में आमंत्रित करता हूं. कल 10 जनवरी, 2024 को प्रातः हम 11.00 बजे पुनः यहां पर समवेत होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती पूजा उदासी, (उद्घोषक)--माननीय मंत्रियों एवं माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था लॉबी में की गई है. आप सभी से निवेदन है कि सायं साढ़े छः बजे इसी सभागार में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम है. आप सभी सादर आमंत्रित हैं. उसके पश्चात् साढ़े सात बजे रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है, जिसमें भी आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.

प्रबोधन कार्यक्रम की कार्यवाही अपराह्न 4.07 बजे स्थगित हुई.

*****